भारत के राजपत्र के भाग-I खंड I में प्रकाशित किया जाना असाधारण

6/14/2022-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार माहनिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 20 दिसंबर,2023

अंतिम जांच परिणाम

मामला संख्या एडी (ओआई)- 14/2022

विषय: दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा-टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल (पीटीबीपी)" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

विषय सूची

क.	मामले की पृष्ठभूमि	
ख.	प्रक्रिया	
ग.	विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु	
ग.1.	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
ग.2.	घरेलू उद्योग के विचार	
ग.3.	प्राधिकारी द्वारा जांच	
घ.	घरेलू उद्योग का दायरा और आधार	
घ.1.	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
घ.2.	घरेलू उद्योग के विचार	
घ.3.	प्राधिकारी द्वारा जांच	
ड.	गोपनीयता	
ड.1.	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
ड.2.	घरेलू उद्योग के विचार	

ड.3.	प्राधिकारी द्वारा जांच	
च.	सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण	
च.1.	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
च.2.	घरेलू उद्योग के विचार	
च.3.	प्राधिकारी द्वारा जांच	
च.3.1.	सामान्य मूल्य का निर्धारण	
च.3.2.	निर्यात कीमत का निर्धारण	
च.3.3.	पाटन मार्जिन का निर्धारण	
छ.	क्षति निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच	
छ.1.	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
छ.2.	घरेलू उद्योग के विचार	
छ.3.	प्राधिकारी द्वारा जांच	
छ.3.1.	एक उद्योग की स्थापना के लिए मैटिरियल रिटार्डेशन	
छ.3.2.	वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए मौटिरियल रिटार्डेशन	
छ.3.3.	संचयी आकलन	
छ.3.4.	मांग/स्पष्ट खपत का आकलन	
छ.3.5.	घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव	
छ.3.6.	पाटित आयातों का कीमत प्रभाव	
छ.3.7.	घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड	
छ.3.8.	अनुमानित निष्पादन के साथ वार्षिक निष्पादन की तुलना	
ज.	गैर-आरोपण विश्लेषण	
झ.	क्षति मार्जिन की मात्रा	
ञ.	भारतीय उद्योग का हित और अन्य मामले	
ञ.1.	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
ञ.2.	घरेलू उद्योग के विचार	
ञ.3.	प्राधिकारी द्वारा जांच	
ट.	भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे	
ट.1	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
ट.2	घरेलू उद्योग के विचार	
ट.3	प्राधिकारी द्वारा जांच	

ठ.	**निष्कर्ष और सिफारिश**	
ड.	**आगे की प्रक्रिया**	

एफ. संख्या 6/14/2022-डीजीटीआर: समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके बाद 'एडी नियम' या 'एंटी-डंपिंग नियम' या 'एंटी-डंपिंग नियम' के रूप में संदर्भित)।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. विनाती आर्गेनिक्स लिमिटेड (वीओएल) (इसके बाद इसे"आवेदक" के रूप में कहा गया है) ने प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका (इसके बाद इसे"संबद्ध देश" के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित"पैरा- टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल" (इसके बाद इसे "पीटीबीपी", "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने की मांग की गई थी।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधरण में प्रकाशित की गई दिनांक 21 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना सं. 6/14/2022- डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को मैटिरियल रिटार्डेशन के रूप में कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, नियमावली के नियम 5 के अनुसार एक पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. नीचे दी गई प्रक्रिया का जांच के संबंध में अनुसरण किया गया है:

i) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले वर्तमान आवेदन के प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ii) प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 21 दिसंबर, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबंद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में जांच शुरू की गई थी।

iii) प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों, ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं/ और घरेलू उद्योग के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं।

iv) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी परिचालित की गई थी।

v) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों में उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का परामर्श दें।

vi) प्राधिकारी ने उक्त देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पाटनरोधी जांच शुरू करने से संबंधित सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की, जैसा कि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया है और उन्हें नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार उनके अनुरोधों को जानने का अवसर प्रदान किया:

क. एसआई ग्रुप इंक.

ख. एसआई ग्रुप-कोरिया लिमि.

ग. सौजित्ज कॉरपोरेशन

घ. टास्को कैमिकल कॉरपोरेशन

vii) संबद्ध जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दायर करके उत्तर दिया है:

क. एसआई ग्रुप इंक.

ख. एसआई ग्रुप-कोरिया लिमि.

viii) डीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लि., जो सिंगापुर से एक निर्यातक हैं, ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया और बाद में वर्तमान जांच से अपनी भागीदारी को वापस ले लिया।

ix) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी की मांग करते हुए प्रश्नावली भेजी:

क. कार्डोलाइट स्पेशियलिटी केमिकल्स इंडिया

ख. चंद्रास केमिकल इंटरप्राइजेज

ग. डीआईसी इंडिया लिमिटेड

घ. एलान्टास बेक इंडिया लिमिटेड

ड. इटरनल फाइन केमिकल्स लिमिटेड

च. हूबरग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

छ. जे. किरीट एंड ब्रदर्स

ज. मैक उद्योग

झ. मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

ञ. मेलॉग स्पेशलिटी केमिकल्स प्रा. लिमिटेड

ट. मिरिब केमिकल्स

ठ. पॉलीओल्स एंड पॉलिमर्स प्रा. लिमि.

ड. प्रिवी स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड

ढ. राजशा केमिकल्स प्रा. लिमिटेड

ण. टेक्नो वैक्सकेम प्राइवेट लिमिटेड

x) संबद्ध जांच की शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोगकर्ताओं ने एक प्रश्नावली उत्तर दायर करके उत्तर दिया है:

क. एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ख. इटरनीस फाइन केमिकल्स लिमिटेड

ग. पॉलिमर्स एंड पॉलिसोल्स

xi) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया गया है:

क. एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ख. इटरनीस फाइन केमिकल्स लिमिटेड

ग. पॉलिमर्स एंड पॉलिसोल्स

xii) वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच की अवधि वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि है।

xiii) याचिका डीजीसीआई एंड एस द्वारा 2019-20 से जून 2022 तक की अवधि के लिए प्रकाशित आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर दायर की गई थी। प्राधिकारी द्वारा सिस्टम्स महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) को पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात का लेन-देन-वार विवरण, जो प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था, प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

xiv) प्राधिकारी ने आवेदक से, आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे जानकारी मांगी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने

वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xv) प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों से, आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे जानकारी मांगी। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर किया गया है।

xvi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध के अगोपनीय पाठ को ईमेल करें।

xvii) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 17 अगस्त, 2023 को हुई एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए और मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों को लिखित अनुरोध दर्ज करने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत किया गया।

xviii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की अवधि के दौरान प्रदान की गई सूचना, जिसके साथ जिस सीमा तक साक्ष्य प्रदान किया गया था और जिसे वर्तमान जांच के लिए संगत पाया गया था, उन पर इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया है।

xix) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना सुलभ कराने से इंकार किया है या अन्यथा सूचना प्रदान नहीं की है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच की है।

xx) गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को अगोपनीय पाठ में गोपनीय पाठ का पर्याप्त सारांश प्रदान करने का निदेश दिया गया था।

xxi) इस जांच में आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए एक प्रकटीकरण वक्तव्य जो वर्तमान अंतिम निष्कर्ष का आधार बनता है, 8 दिसंबर 2023 को इच्छुक पक्षों को जारी किया गया था। घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रकटीकरणोत्तर विवरण प्रस्तुतियों पर इस अंतिम खोज अधिसूचना में प्रासंगिक पाए गए सीमा तक विचार किया गया है।

xxii) इस अंतिम जांच परिणाम में ***, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत उस पर विचार किया गया है।

xxiii) प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1यूएस डॉलर = 76.14 रुपए हैं।

xxiv) इस दस्तावेज में निम्नलिखित संक्षिप्तियों का प्रयोग किया गया है:

क्र. सं.	**संक्षिप्तियां**	**पूर्ण विवरण**
क.	डीआई	घरेलू उद्योग
ख.	एमओएफ	वित्त मंत्रालय
ग.	पीयूसी	विचाराधीन उत्पाद
घ.	अधिनियम	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
ड.	नियमावली	सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण नियमावली, 1995
च.	अन्य हितबद्ध पक्षकार	वर्तमान जांच में भाग लेने वाले और पाटनरोधी

		जांच किए जाने का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकार
छ.	याचिकाकर्ता/ अनुरोध	विनाती आर्गेनिक्स लिमिटेड (वीओएल)
ज.	एसआई ग्रुप	एसआई ग्रुप इंक., एसआई ग्रुप-कोरिया लि. और एसआई ग्रुप- इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
झ.	ईआईक्यू	आर्थिक हित प्रश्नावली
ञ.	ईक्यूआर	निर्यातक प्रश्नावली उत्तर

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.2. घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है :

i) विचाराधीन उत्पाद पैरा- टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल ("पीटीबीपी") है, जिसे 4 टर्श ब्यूटाइल फिनोल/ पी टर्श ब्यूटाइल फिनोल / पीटीबीपी केमिकल/ पैरा टर्श ब्यूटाइल फिनोल के रूप में भी जाना जाता है। पीटीबीपी रासायनिक सूत्र (C10H14O) के साथ एक कार्बनिक गंध का योगिक है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है और इसमें एक अलग फेनोलिक गंध होती है।

ii) वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "पैरा- टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल" है, जिसे पीटीबीपी के रूप में भी जाना जाता है।

iii) पीटीबीपी कैमिकल आमतौर पर फिनोल और आइसोब्यूटालीन की प्रतिक्रिया से भी तैयार किया जाता है। यह एक उत्प्रेरक के रूप में एसिड सक्रिय मिट्टी की उपस्थिति में फिनोल में आइसोमर ब्यूटेन के एक गैसीय को शामिल करके तैयार किया जाता है। 4 टर्श के निर्माण की प्रक्रिया में, आइसोब्यूटेन और फिनोल में ब्यूटाइल को तैयार करने की एक और विधि सामान्यतः उपयोग की जाने वाली

विधि पानी में फिनोल और टर्श ब्यूटोल का उपयोग करके है। संबद्ध वस्तु को 29071940 के अंतर्गत अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है।

iv) इस उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से एक परफ्यूमरी कच्चे माल पैरा- टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लो हेक्साइल एसिटेट (पीटीबीसीएसए) के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उत्पादन में एपोक्सी, कॉर्बोनेट रेजिन और फिनोलिक रेजिन सहित रेजिन की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए भी किया जाता है।

v) पीयूसी के पिघले हुए(मोल्टन) और परत बने (फ्लेक) रूप, दोनों इस आवेदन के दायरे में आते हैं। घरेलू बिक्री पिघले हुए(मोल्टन) और परत बने (फ्लेक) दोनों रूपों में होती है। उत्पाद को सुखाने और उसके तापमान को कम करने की एक सरल विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा संबद्ध वस्तुओं के पिघले हुए रूप को परत बने रूप में परिवर्तित किया जाता है। संबद्ध वस्तु मुख्य रूप से परत बने रूप में बेची जाती है। पिघले हुए रूप और परत बने रूप की लागत और मूल्य में अंतर न्यूनतम है। घनत्व परिवर्तन दर करीब 0.98 है। कुछ ग्राहक परत बने रूप में खतरनाक रसायन को न संभाल पाने के कारण एक अधिमान्य तौर पर पिघले हुए रूप में विचाराधीन वस्तु (पीयूसी) को खरीदते हैं।

vi) याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी और संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के साथ तुलनीय है। तथापि, प्रत्येक उत्पादक अपनी आवश्यकताओं और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर अपनी उत्पादन प्रक्रिया को ठीक करता है।

vii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता दोनों का ही उपयोग कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तुएं हैं।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

6. जांच की शुरुआत के चरण में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद (इसके बाद "पीयूसी" के रूप में भी कहा गया है) इस प्रकार था:

> *"3. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद(पीयूसी) "पैरा- टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल" या "पीटीबीपी" है। पीटीबीपी को 4 टर्श ब्यूटाइल फिनोल/ पी टर्श ब्यूटाइल/ पीटीबीपी कैमिकल/ पैरा टर्श ब्यूटाइल फिनोल के रुप में भी जाना जाता है।*
>
> *4. रासायनिक सूत्र (C10H14O) के साथ एक कार्बनिक गंध वाला यौगिक है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है और इसमें एक अलग फिनोलिक गंध होती है। पीटीबीपी कैमिकल को आमतौर पर फिनोलऔरआइसो ब्यूटाइलीन की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है।*
>
> *5. यह एक उत्प्रेरक के रूप में एसिड सक्रिय मिट्टी की उपस्थिति में आइसोमर ब्यूटेन के गैसीय फिनोल में शामिल करके तैयार किया गया है। इस उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से एक परफ्यूमरी कच्चे माल पैरा टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लो टेक्साइल एसिटेट (पीटीबीसीएसए) के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उत्पादन में एपोक्सी, पॉलिकार्बोनेट रेजिन और फिनोलिक रेजिन सहित रेजिन की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए भी किया जाता है"*

7. संबद्ध वस्तुओं को एचएस कोड 29071940 के अंतर्गत अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी विवरणों द्वारा उत्पाद का आयात और सीमा शुल्क वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना शामिल है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. पीटीबीपी पिघले और फ्लेक रूपों में हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद का पिघला हुआ और परत बना रूप, दोनों ही इस आवेदन के दायरे में आते हैं। संबद्ध मुख्य रूप से परत बने रूप में बेची जाती है। पिघले हुए और परत बने रूप, दोनों का उपयोग सामान्य है और इसका उपयोग पारस्परिक रूप से किया जा सकता है। पिघले हुए रूप और परत बने रूप की लागत और मूल्य में मामूली अंतर है।

9. यद्यपि संबद्ध वस्तु लंबे समय से घरेलू बाजार में उपयोग में है, तथापि आवश्यकताओं को पूरी तरह से आयात द्वारा किया गया था। संबद्ध वस्तुओं का कोई ज्ञात विकल्प नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने लगभग *** करोड़ रु. और ब्यूटाइल

फिनोल के उत्पादन के लिए, विशेष रूप से पीटीबीपी के लिए ***करोड़ रु. की विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं। आवेदक ने वर्ष 2014-15 में इस उत्पाद की कल्पना की और जुलाई, 2020 में संबद्ध वस्तुओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। जहां तक भारत में इसके उत्पादन का संबंध है, देश में संबद्ध वस्तु एक नया उत्पाद है।

10. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं नियमावली के संदर्भ में समान वस्तु है। दोनों ही तकनीकी रुप से और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य है। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और तात्पर्य से संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और आधार</u>

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है:

घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

12. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i) आवेदक ने जुलाई 2020 में संबद्ध वस्तुओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। इसके पहले, भारत अपनी घरेलू मांग के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह से निर्भर था।

ii) आवेदक, विचाराधीन उत्पाद का पहला और एकमात्र उत्पादक होने के नाते, भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन में 100% हिस्सा रखता है।

iii) घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात नहीं किया है और यह भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक/निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के तहत घरेलू उद्योग के इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> *"घरेलू उद्योग"का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग"पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।*

14. वर्तमान जांच भारत में संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक के रूप में विनाती आर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका के अनुसार शुरू की गई है। आवेदक ने जुलाई 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। यह निर्विवाद है कि देश में संबद्ध वस्तुओं का कभी भी उत्पादन नहीं किया गया था, पूरी मांग आयात से पूरी हो रही थी और आवेदक के पास पहली बार स्थापित सुविधाएं हैं ताकि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। प्राधिकारी ने विस्तार से इसकी जांच की है कि क्या क्षति जांच के तहत पाटनरोधी नियमों के अनुसार उद्योग नया है या नवजात उद्योग है।

15. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन यह कहते हुए दायर किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का पाटन भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को भौतिक रूप से मंद कर रहा है। विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय उद्योग नवजात अवस्था में है और उसने अभी तक अपने आप को स्थापित नहीं किया है। आवेदक ने यह बताया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदक संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और इसलिए वह संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा रखता है।

16. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक के इस दावे का विरोध नहीं किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात नहीं किया है और न ही वह भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक/निर्यातक या आयातक से संबंधित है। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदक कंपनी इस प्रकार से नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य के पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i) याचिकाकर्ता ने याचिका के अनुबंध 3.1 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान प्रदान नहीं किया है।

ii) याचिकाकर्ता ने सीआईएफ कीमत में समायोजन के लिए विचार किए गए मालभाड़ा के स्रोत का प्रकटन नहीं किया है, जो व्यापार सूचना के अनुसार एक आवश्यकता है।

iii) याचिकाकर्ता ने निर्यात बिक्री की मात्रा और मूल्य संबंधी आंकड़ों का प्रकटन नहीं किया है।

iv) याचिकाकर्ता ने अपनी परियोजना रिपोर्ट और विचाराधीन उत्पाद के लिए अनुमानित आर्थिक मापदंडों का प्रकटन नहीं किया है।

ड.2. घरेलू उद्योग के विचार

18. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:

i) एसआई ग्रुप ने निर्यात मूल्य के निर्धारण के संबंध में पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में क्षति नहीं करने का तर्क भी पूरी तरह से गोपनीय दावा किया गया था।

ii) परियोजना रिपोर्ट में व्यावसायिक स्वामित्व की जानकारी है, जिसका सारांश नहीं किया जा सकता है।

iii) आयातित विचाराधीन उत्पाद में लिए कमोडिटी बाजार मूल्य के गोपनीय होने के रूप में गलत तरीके से दावा किया गया है।

iv) इस दावे का पूरा आधार कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात करने से कोई क्षति नहीं हो रही है, अस्वीकार है।

ड.3. प्राधिकारी की जांच

19. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षों द्वारा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

20. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में प्रावधान इस प्रकार है:

"7. गोपनीय सूचना:

(1) नियम के उपनियमों 6(2), (3) और (7)के उपनियम 12 नियम , (2) , के उपनियम 15 नियम (4) और नियम के उपनियम 17 (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम के उपनियम 5(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या

सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

21. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसे दावों की पर्याप्ता के संबद्ध में गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया है और ऐसी सूचना के गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीयता के आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने के लिए निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीय रूप में अपने व्यवसाय में संबंधित संवेदनशील जानकारी का दावा किया है।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i) वस्तु (कमोडिटी) की अस्थिर प्रकृति और जांच की अवधि के दौरान मूल्य में उतार-चढ़ाव आने के कारण, पूरी जांच की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के निर्यात मूल्यों के भारित औसत के साथ भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना घरेलू और निर्यात कीमतों की एक विकृत तुलना होगी। चूंकि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद कीमतों में व्यपक रूप से भिन्नता है, अतः लेन देन से लेनदेन या सामान्य मूल्य और निर्यात की कीमतों की एक माह से माह की तुलना में विचाराधीन उत्पाद की बाजार की प्रकृति और जांच की अवधि के दौरान कीमत में उतार-चढ़ाव को देखते हुए उपरोक्त प्रावधानों के तहत एक 'उचित तुलना' प्राप्त होगी।

ii) शिपमेंट के समय जारी किए गए इनवॉयस पर उल्लिखित मूल्य केवल इस बात को दर्शाता है कि अनुबंध/आदेश को जब दिया गया था, उस तारीख को अंतिम ग्राहक के साथ किस कीमत पर सहमति हुई थी। अतः एक उचित तुलना तब प्राप्त की जाएगी, जब किसी विशेष समय (जैसे एक माह) के दौरान घरेलू

अनुबंध/आदेश के तहत किए गए सभी शिपमेंट की कीमतों की तुलना निर्यात बाजार के लिए एक सम दिनांकित अनुबंध/आदेश के तहत किए गए सभी शिपमेंट की कीमतों से की जाती है।

iii) असंबद्ध आयातक/ग्राहक के विपरीत संबंधित आयातक की कीमतें भारत में प्रचालित बाजार मूल्य के साथ बैंचमार्क नहीं करती। प्राधिकारी निर्यात कीमतों को प्रभावित करने वाली किसी भी संबद्धता/प्रतिपूरक व्यवस्था के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रासंगिक समायोजन लागू कर सकता है।

iv) अधिनियम में निर्यात कीमत की परिभाषा के अनुसार, प्राधिकारी की यह प्रथा है कि वह संबंधित संस्थाओं के होने पर उत्पादक/निर्यातक और आयातक के बीच कीमतों पर भरोसा न करें।

v) जिन कीमतों पर एसआई ग्रुप इंडिया को एसआई ग्रुप कोरिया और एसआई ग्रुप यूएसए द्वारा इसकी आंतरिक खपत के लिए निर्यात किया गया था, वे निर्यात कीमत की गणना के लिए भरोसेमंद नहीं हैं क्योंकि आयातों का गलत इन्वॉयस किया गया है और स्थानांतरण कीमत की गणना में व्यवस्थित कीमतों के कारण आयातों को कम करके आंका गया है।

vi) भले ही लेन देन आर्म्स लेंथ कीमतों पर किए जाते हैं, लेकिन आर्म्स लेंथ के आधार पर स्थानांतरण मूल्य का मतलब यह नहीं है कि उक्त कीमतें बाजार की कीमतों को दर्शाती हैं। प्राधिकारी को भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात कीमतों पर विचार करना होगा ताकि निबल निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके क्योंकि किसी निर्यातक और उसमें संबद्ध आयातक के बीच निर्यात कीमत अविश्वसनीय हो सकती है।

vii) जिन कीमतों पर जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्य़ात एसआई ग्रुप इंडिया को उसकी खपत के लिए किया गया था, जिसका भारतीय बाजार में बिक्री के लिए कभी भी कोई इरादा नहीं था। अतः ये कीमतें भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के प्रतिस्पर्धात्मक बाजार मूल्य के निर्धारण की प्रतिनिधिक नहीं हैं।

viii) एसआई समूह, यूएसए, दक्षिण कोरिया और भारत के बीच की यह स्थानांतरण कीमत उनके बीच समझौते के आधार पर निर्धारित की जाती है और बाजार के दवाबों से प्रभावित नहीं होती हैं।

ix) सभी तीनों संस्थाओं के खातों को समूह स्तर पर समेकित किया जाता है, अतः अंतर- कंपनी लेनदेन समेकित खातों में दर्ज नहीं किए जाते हैं।

x) सामान्य तौर पर कंपनी द्वारा पालन की जाने वाली स्थानांतरण कीमत नीति तुलनीय अनियंत्रित कीमत निर्धारण विधि है। अंतर-कंपनी कीमत का निर्धारण विनिर्माण इकाई और तीसरे पक्ष के ग्राहकों के बीच समान लेनदेन के आधार पर किया जाता है।

xi) संबद्ध कंपनी को अंतर-कंपनी स्थानांतरण कीमत, खरीदकर्ता संबद्ध कंपनी के उसी क्षेत्र (देश) में स्थित देशों में वितरित उसी या समान उत्पाद के लिए निकटतम तुलनीय तृतीय पक्ष निवल बिक्री कीतम पर आधारित है।

xii) निजी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई सांविधिक आवश्यकता नहीं है और इसलिए खातों की लेखा परीक्षा नहीं की जाती है।

च.2. घरेलू उद्योग के विचार

23. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्यग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i) याचिकाकर्ता ने दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू बाजार में उत्पाद की खपत कीमत को उस कीमत का उपयोग करके निर्धारित की है, जिस पर उपभोक्ता ने कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतिम खपत के लिए याचिकाकर्ता से उत्पाद की खरीद की है। इस प्रकार याचिकाकर्ता से कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कीमत को सामान्य मूल्य के लिए खपत कीमत के रूप में माना जाता है।

ii) याचिकाकर्ता ने अन्य देशों से सिंगापुर आयात के संबंध में जानकारी एकत्र की है। यह देखा गया है कि सिंगापुर संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण मात्रा में आयात कर

रहा है। सिंगापुर में संबद्ध वस्तुओं का आयात सिंगापुर के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं का खपत मूल्य भी है और इस प्रकार इसे सिंगापुर में प्रचालित सामान्य मूल्य के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया है और सिंगापुर में आयात के औसत मूल्य को विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य के रूप में माना है। इस प्रकार, सिंगापुर में आयातों को खपत कीमत के रूप में माना है।

iii) कारखाना बाह्य कीमत निर्धारित करने के लिए उचित समायोजन किए जाने के बाद प्रकाशित डीजीसीआई एंड एस डेटा से अपनाई गई जांच की प्रस्तावित अवधि के लिए आयातों की मात्रा और कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की जानी चाहिए।

iv) प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि निर्यात एसआई ग्रुप इंडिया को किया गया था। अतः बिक्री संबंधित पक्षकार की है और इस प्रकार निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए और धारा 9क में प्रावधान है कि यदि संबधित पक्ष की बिक्री है तो प्राधिकारी यदि कीमत भरोसेमंद नहीं है, तो निर्यात कीमत का निर्माण कर सकते हैं।

v) प्रतिवादियों ने यह स्थापित नहीं किया है कि निर्यात कीमत कैसे भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि संबंध का अस्तित्व ही कीमत को अविश्वसनीय नहीं बना सकता है।

vi) निर्यात कीमत का निर्माण करने की मांग करने वाले पक्ष पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि (क) कीमतें अविश्वसनीय हैं (अधिक तब, जब इसे पहले से ही सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विश्वसनीय माना गया है), (ख) निर्यात कीमत के निर्माण के लिए एक कार्यप्रणाली सुझाए। यदि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष यह घोषणा रही है कि कीमतें भरोसेमंद हैं और आर्म्स लेंथ में हैं, तो कीमतों के अविश्वसनीय होने का कोई आधार नहीं हैं।

vii) प्रतिवादियों ने यह अनुरोध किया है कि अनुबंध की तारीख को बिक्री की तारीख के रूप में माना जाना चाहिए, जो अप्रमाणित है। डीजीटीआर मैन्युअल में कहा गया है कि सामान्यतः इनवॉयस की तारीख को, जैसा कि व्यापार की सामान्य अवधि के दौरान निर्यात अथवा उत्पादक के रिकार्ड पर रखा गया है, बिक्री की तारीख के रूप में माना जाता है।

viii) प्रत्येक संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

ix) प्रतिवादी को प्रतिपूरक व्यवस्था प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, और यह निर्यात मूल्य की गणना को प्रभावित करता है और यह स्थापित करता है कि कीमतें अविश्वसनीय हैं। इन कनसाइनमेंट की मंजूरी दिए जाने पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष क्या दावे किए गए थे, यह स्थापित करना चाहिए। निर्यात के निर्धारण की गणना से इन निर्यात लेनदेन की अनदेखी करना गैर कानूनी होगा।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने संबंध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीकों से जानकारी प्रदान करने की सलाह दी गई थी। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं:

i) एसआई ग्रुप इंक.

ii) एसआई ग्रुप- कोरिया लि.

25. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध का विश्लेषण किया है।

26. एसआई ग्रुप ने यह दावा किया है कि भारत से संबंधित आयातक अर्थात एसआई ग्रुप इंडिया को निर्यात की कीमत अविश्वसनीय है और इसलिए प्राधिकारी को निर्यात कीमत की गणना से उक्त कीमत को बाहर करना चाहिए। तथापि, जैसाकि पीटनरोधी करार के निम्नलिखित प्रावधान से स्पष्ट है, यह पूरी तरह से प्राधिकारी पर है कि वह एनईपी की विश्वसनीयता निर्धारित कर सकता है और यह अविश्वसनीयता का दावा करने के लिए निर्यातकों पर निर्भर नहीं करता है:

> *ऐसे मामलों में, जहां कोई निर्यात कीमत नहीं है या जहां संबंधित प्राधिकारियों को ऐसा प्रतीत होता है कि निर्यात कीमत निर्यातक और आयातक या किसी तीसरे पक्ष के बीच सहयोग या प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय है, तो*

निर्यात कीमत का निर्माण उस कीमत के आधार पर किया जा सकता है, जिस कीमत पर आयातित उत्पादों को ऐसे तर्क संगत आधार पर, जो प्राधिकारी निर्धारित करे, पहले एक स्वतंत्र खरीदार को पुनः बिक्री की जाती है या यदि उत्पादों को एक स्वंतत्र खरीदार को पुनः बिक्री की जाती है, या आयात किए जाने की स्थिति में पुनः बिक्री नहीं की जाती है।

27. अविश्वसनीयता का प्रश्न केवल उस मामले में उठता है, जहां निर्यातक उच्च निर्यात कीमत का दावा करने वाले पाटन संबंधी आरोपों से इंकार करता है। ऐसे मामलों में प्राधिकारी निर्यात कीमतों की विश्वसनीयता की जांच करता है जहां निर्यातक और आयातक के बीच एक सहयोग या प्रतिपूरक व्यवस्था है और प्राधिकारी इसे अविश्वसनीय पा सकता है। आवेदक ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि एसआई ग्रुप यूएसए और एसआई ग्रुप कोरिया भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जांच शुरु की। एसआई ग्रुप यूएसए और एसआई ग्रुप कोरिया द्वारा दायर किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है कि उक्त उत्पादक/ निर्यातक पाटन कर रहे हैं। भारत में सबंधित आयातक को कम निर्यात मूल्य की अविश्वसनीयता का कोई प्रश्न ही नहीं है।

28. एसआई ग्रुप ने अधिनियम की धारा 9(क)(1) के स्पष्टीकरण (क) पर जोर दिया, जो निर्यात की कीमत का निर्धारण करता है:

"किसी वस्तु के संबंध में "निर्यात" का तात्पर्य निर्यातक देश या क्षेत्र से निर्यात की गई वस्तु की कीमत से है और ऐसे मामलों में, जहां कोई निर्यात मूल्य नहीं है या जहां निर्यात मूल्य सहयोगी या निर्यातक के बीच प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय है और आयातक या किसी तीसरे पक्ष के बीच प्रतिपूरक व्यवस्था, निर्यात मूल्य का निर्माण उस कीमत के आधार पर किया जा सकता है जिस पर आयातित वस्तुओं को पहले एक स्वतंत्र खरीदार को पुन: बिक्री की जाती है या यदि वस्तु की एक स्वतंत्र खरीदार को बिक्री नहीं की जाती है या आयात की गई स्थिति में बिक्री नहीं की जाती है, ऐसे उचित आधार पर जो उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित कियाजा सकता है;"

29. यह नोट किया जाता है कि एनईपी की अविश्वसनीयता के लिए एसआई ग्रुप द्वारा दिया गया कारण उपरोक्त धारा 9(क)(1) के स्पष्टीकरण (ख) में दिए गए वैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं हैं। एसआईग्रुप के अनुसार, एनआईपी की अविश्वसनीयता का दावा करने का आधार यह है कि एसआई ग्रुप दक्षिण कोरिया और एसआई ग्रुप यूएसए से आयातित विचाराधीन उत्पाद को गलत तरीके से इनवॉयस किया गया है और स्थानांतरण कीमत की गणना में व्यवस्थित गड़बड़ी होने के कारण इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। निर्यात कीमत सहयोग या निर्यातक व आयातक के बीच एक प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण नहीं है बल्कि स्थानांतरण कीमत की गणना में व्यवस्थित गड़बड़ियों के कारण से अविश्वसनीय है।

30. यह भी नोट किया जाता है कि एसआई ग्रुप के अपने अनुरोधों में भारत में संबंधित आयातक को अपने खातों की बहियों में बिक्री लेनदेन और आर्म्स लेंथ कीमत पर निर्यात की घोषणा की है। एसआई समूह ने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करने के बाद एसआई ग्रुप इंडिया को अपने निर्यात को अविश्वसनीय घोषित कर दिया है। प्रश्नावली के जवाब में इस तथ्य का कहीं खुलासा नहीं किया गया था।

31. यह भी नोट किया जाता है कि धारा 9(क)(1) के स्पष्टीकरण (ख) में यह कहा गया है:

> *"किसी वस्तु के संबंध में "निर्यात" का तात्पर्य निर्यातक देश या क्षेत्र से निर्यात की गई वस्तु की कीमत से है और ऐसे मामलों में, जहां कोई निर्यात मूल्य नहीं है या जहां निर्यात मूल्य सहयोगी या निर्यातक के बीच प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय है और आयातक या किसी तीसरे पक्ष के बीच प्रतिपूरक व्यवस्था, निर्यात मूल्य का निर्माण उस कीमत के आधार पर किया जा सकता है जिस पर आयातित वस्तुओं को पहले एक स्वतंत्र खरीदार को पुन: बिक्री की जाती है या यदि वस्तु की एक स्वतंत्र खरीदार को बिक्री नहीं की जाती है या आयात की गई स्थिति में बिक्री नहीं की जाती है, ऐसे उचित आधार पर जो उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित कियाजा सकता है;"*

32. धारा 9(क)(1) के स्पष्टीकरण (ख) के तहत निर्यात कीमत के निर्माण से संबंधित प्रावधान का उद्देश्य और प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित पक्षकारों को निर्यात कीमत में इस तहर से हेरफेर नहीं किया जाता है कि निर्यातक द्वारा वास्तविक पाटन पर कब्जा नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जब आयातक देश में

उच्च मूल्य पर संबंधित पक्षकारों को निर्यात किया जाता है और ऐसे संबंधित पक्षकारों द्वारा बाद में कम कीमत पर पुनः बिक्री होती है तो यह स्पष्ट है कि संबंधित इकाई को वास्तविक उच्च निर्यात कीमत को निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए 'सहयोग अथवा एक प्रतिपूरक व्यवस्था' के कारण विश्वसनीय नहीं माना जा सका। ऐसी स्थिति में, संगत पक्षकार की वास्तविक निर्यात कीमत को अलग किया जाएगा और निर्यातक द्वारा पूरे पाटन पर कब्जा करने के लिए संगत संस्था की पुनः बिक्री कीमत के आधार पर निर्माण किया गया है।

33. तथापि, एक विपरीत स्थिति में, जब संबंधित संस्था को निर्यात कीमत असंबंधित संस्थाओं को निर्यात कीमत की तुलना में कम हैं, संबंधित संस्था को वास्तविक कम निर्यात कीमत को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में यह संदेह नहीं है कि भारत को कम निर्यात कीमत वास्तविक कीमत है और इसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। धारा 9 (क) (1) के स्पष्टीकरण (ख) का उद्देश्य और प्रयोजन निर्यातक को भारत में पाटन करने और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के बाद जांच के उद्देश्य से अपनी निर्यात कीमत को काल्पनिक रूप से बढ़ाने का दूसरा अवसर प्रदान करना नहीं है।
34. यदि इसकी अनुमति है, तो निर्यातक सभी मामलों में यह सुनिश्चित करने में सक्षम होगा कि भारत को इसका अधिकांश निर्यात भारत में अपनी संबंधित संस्था को बाजार कब्जाने के लिए सबसे कम संभव कीमत पर है और केवल कुछ निर्यात असंबंधित निर्यातकों को उचित और अप्रयुक्त कीतमों पर किए जाते हैं। इसके बाद, पाटनरोधी जांच के समय, निर्यातक यह दावा करने में सक्षम होगा कि संबंधित संस्था की कीमत अविश्वसनीय है और धारा 9(क)(1) के स्पष्टीकरण (ख) के अनुसार पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए असंबंधित संस्था की कीमत पर भरोसा किया जाना चाहिए, जो कम या कोई पाटन नहीं दर्शाएगी, यह स्पष्ट है कि इस तरह की प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जा सकती है और एसा धारा 9(क) (1) का इरादा और उद्देश्य नहीं हो सकता है। धारा 9(क)(1) के स्पष्टीकरण (ख) की व्याख्या एक यांत्रिक तरीके से और इसके उद्देश्य व प्रयोजन की अनदेखी करके नहीं की जा सकती है। उरोक्त के मद्देनजर, एसआई ग्रुप द्वारा भारत को के गए सभी निर्यातों के लिए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में बताई गई कीमतों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने आगे कार्रवाई की है।
35. यह तर्क दिया गया था कि जिन कीमतों पर जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात एसआई ग्रुप इंडिया को इसकी खपत के लिए किया गया था, उनका

भारतीय बाजार में बिक्री के लिए कभी कोई इरादा नहीं था। इसलिए ये कीमतें भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पादन की प्रतिस्पर्धी बाजार कीमत के निर्धारण की प्रतिनिधिक नहीं है। हालांकि यह नोट किया जाता है कि चूंकि संबंधित आयातक अर्थात एसआई ग्रुप इंडिया द्वारा की गई खपत, कुल भारतीय मांग का हिस्सा है, अतः यह भारत में घरेलू मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। इसके अलावा, संबंधित आयातक ने क्षति अवधि में घरेलू स्तर पर विचाराधीन उत्पाद की खरीद की है और भारतीय बाजार में जांच की अवधि में आयातित विचाराधीन उत्पाद की कुछ मात्रा भी बेची है।

च.3.1. सामान्य मूल्य का निर्धारण

36. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात

के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

क. सिंगापुर

37. डीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर से एक निर्यातक, एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत है और बाद में वर्तमान जांच से अपनी भागीदारी वापस ले ली। सिंगापुर में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी सिंगापुर से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए बाध्य है। आवेदक ने दावा किया कि सिंगापुर संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण मात्रा में आयात कर रहा है। सिंगापुर में संबद्ध वस्तुओं का आयात सिंगापुर के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की खपत कीमत भी है और इस प्रकार इसे सिंगापुर में प्रचलित सामान्य मूल्य के रूप में माना जा सकता है। आवेदक ने जांच की अवधि के लिए सामान्य मूल्य के रूप में सिंगापुर में सिंगापुर से आयात की औसत कीमत पर विचार किया था। यह देखा गया है कि एचएस कोड 290719 के तहत आयात में गैर-विचाराधीन उत्पाद का सिंगापुर में आयात शामिल है। अतः आयात के औसत मूल्य को विचाराधीन उत्पाद की खपत कीमत के रूप में नहीं माना जा सकता और इसके परिणामस्वरूप सामानय मूल्य के निर्धारण के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है। वैकल्पिक रूप से आवेदक ने एसजीए और उचित लाभ के लिए अतिरिक्त उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य की जानकारी प्रदान की थी।

38. प्राधिकारी ने तदनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों को ध्यान में रखकर सिंगापुर के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सिंगापुर से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. साउथ कोरिया

एसआई ग्रुप कोरिया लि.

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड, कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है। एसआई ग्रुप कोरिया ने भारत में आपने

संबंधित पक्षकार अर्थात एसआई ग्रुप इंडिया प्रा. के और साथ ही भारत में असंबद्ध ग्राहकों को भी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

40. एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी.टन पीटीबीपी की बिक्री की है, जबकि इसने भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। भारत में संबंधित पक्षकारों से किया गया निर्यात *** मी. टन है और भारत में असंबंधित पक्षकारों को किया गया निर्यात *** मी. टन है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया का संचालन करते हैं। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन कुल बिक्री के 80% से अधिक है, तो घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन के सामान्य मूल्य को निर्धारण के लिए माना जाता है और यदि लाभकारी लेनदेन 80% से कम होते हैं तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान मामले में चूंकि 80% से अधिक घरेलू बिक्रियां लाभकारी हैं, अतः सभी घरेलू बिक्रियों को सामान्य निर्धारित करने के लिए माना गया है। कंपनी ने क्रेडिट लागत और अंतर्देशीय परिवहन के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कंपनी ने दावा किया है कि मार्जिन को माह-दर-माह आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, हालांकि कंपनी ने माह-दर-माह आधार पर लागत प्रदान नहीं की है। लागत की जानकारी केवल तिमाही आधार पर उपलब्ध है। यह देखा गया है कि तिमाही आधार पर लागत में काफी अंतर नहीं होता है। इस प्रकार, एसआई ग्रुप कोरिया के लिए कारखाना बाहय स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना जांच की अवधि में समग्र रूप से की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

कोरिया गणराज्य में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः उनके मामलों में सामान्य मूल्य रिकार्ड पर उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में प्रदान किया गया है।

ग. संयुक्त राज्य अमेरिका

<u>एसआई ग्रुप इंक</u>

42. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एसआई ग्रुप इंक कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है। एसआई ग्रुप इंक ने अपने संबंधित पक्षकार अर्थात एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लि. को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और साथ में भारत में असंबंधित ग्राहकों को भी निर्यात किया है।

43. एसआई ग्रुप यूएसए ने प्रश्नावली उत्तर दर्ज किया है। कंपनी ने भारत को *** मी. टन का निर्यात किया है। भारत को निर्यात किए गए *** मी. टन में से, *** मी. टन असंबद्ध निर्यातकों को निर्यात किया गया है और *** मी. टन संगत पक्षकार अर्थात एसआई ग्रुप इंडिया को निर्यात किया गया है, जिसमें कुल निर्यातों का ***% शामिल है। जिस कीतम पर एसआई ग्रुप इंडिया और अन्य असंबद्ध पक्षकारों को निर्यात किया गया है, उसमें काफी अंतर है।

44. एसआई ग्रुप इंक ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन पीटीबीपी की बिक्री की है, जबकि इसने भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तुएं बिक्री की हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में हैं। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने के लिए सामान्य व्यापार जांच प्रक्रिया आयोजित की है। घरेलू बिक्री का 80% से अधिक लाभदायक है, अतः सभी बिक्रियों को सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए माना गया है। कंपनी ने क्रेडिट लागत और अंतर्देशीय परिवहन के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उसकी अनुमति है। तदनुसार, एसआई ग्रुप इंक के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

45. निर्यातक ने यह दावा किया है प्राधिकारी को माह-दर-माह आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना करके पाटन मार्जिन निर्धारित करना चाहिए। यह दावा किया गया है कि प्रमुख इनपुट की लागत विचाराधीन उत्पाद की कीमत में महत्वपूर्ण अंतर है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भले ही कंपनी ने दावा किया हो कि मार्जिन माह-दर-माह आधार पर निर्धारित किया जाना है। कंपनी ने मासिक आधार पर लागत के संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की है। अतः दावे में तथ्यात्मक साक्ष्य का अभाव है। लागत की

जानकारी केवल तिमाही आधार पर उपलब्ध है। यह देखा गया है कि तिमाही आधार पर लागत में काफी अंतर नहीं होता है। इस प्रकार एसआई ग्रुप इंक के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना जांच की अवधि के लिए समग्र रूप से की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

46. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान जांच में निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः उनके मामलों में सामान्य मूल्य रिकार्ड पर उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में प्रदान किया गया है।

च.3.2. निर्यात कीमत का निर्धारण

क. सिंगापुर

47. डीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लिमि., सिंगापुर के एक निर्यातक ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया और बाद में वर्तमान जांच में अपनी भागीदारी वापस ले ली। सिंगापुर में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं किया है। उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स डेटा द्वारा उपलब्ध कराए गए आयातों के डेटा के अनुसार, जांच की अवधि के लिए आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए नियमावली के नियम 6(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, हैंडलिंग शुल्क, कमीशन और बैंक शुल्क के लिए समायोजन किया गया है। ये मूल्य समायोजन विदेशी उत्पादकों के असहयोग को देखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के आधार पर किए गए हैं। इस प्रकार निर्यात मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. दक्षिण कोरिया

<u>एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड</u>

48. एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान भारत को ***एमटी पीटीबीपी का निर्यात किया है। एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, क्रेडिट लागत, दावा व्यय और अंतर्देशीय परिवहन के संबंध में समायोजन करने का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है।

49. एसआई ग्रुप कोरिया ने यह कहा है कि एसआई ग्रुप कोरिया के निर्यात मूल्य की तुलना लेनदेन से लेनदेन पर सामान्य मूल्य के साथ की जानी चाहिए, या अनुबंध/आदेश की तारीखों के आधार पर माह-दर-माह आधार पर की जानी चाहिए। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। निर्यातकों ने माह-दर-माह आधार पर तुलना के लिए लागत पर जानकारी प्रदान नहीं की है। प्रदान की गई तिमाही सूचना में महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में डीजीटीआर की प्रक्रिया के अनुसार, प्राधिकारी ने इनवॉयस की तारीख पर विचार किया है, जैसा कि सामान्य व्यापार प्रक्रिया के दौरान रखे गए, निर्यातकों या निर्यातकों के रिकार्ड में दर्ज किया गया है, उसे बिक्री की तारीख के रूप में माना जाता है। यह संतोषजनक रूप से नहीं दर्शाया गया है कि बिक्री की तारीख निर्धारित करने के उद्देश्य से इनवॉयस की तारीख पर क्यों नहीं विचार किया जाना चाहिए।

50. एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य, कंपनी द्वारा किए गए सभी निर्यातों के आधार पर निर्धारित किया गया है और ऐसे निर्यात की मात्रा और मूल्य पर विचार किया गया है। उक्त निर्यात मूल्य को कारखाना बाहय निर्यात मूल्य व निर्धारित करने के लिए निर्यातक द्वारा दावा किए गए खर्चों के लिए समायोजित किया गया है। इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

कोरिया गणराज्य में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत

51. कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत की गणना नियमावली के नियम 6(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है। इस प्रकार से विचार की गई निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ग. संयुक्त राज्य अमेरिका

<u>एसआई ग्रुप इंक</u>

52. एसआई ग्रुप इंक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन पीटीबीपी का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने एसआई ग्रुप इंक द्वारा दायर किए गए उत्तर की पुष्टि की है, जिसमें कि उसने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, क्रेडिट लागत, दावा व्यय और अंतर्देशीय परिवहन के संबंध में समायोजन करने का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है।

53. एसआई ग्रुप इंक ने यह कहा है कि एसआई ग्रुप इंक की निर्यात कीमत की तुलना अनुबंध/आदेश की तिथियों के आधार पर लेनदेन-से-लेनदेन या माह-दर-माह आधार पर सामान्य मूल्य के साथ की जानी चाहिए। हालांकि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्यातकों ने माह-दर-माह आधार पर तुलना के लिए लागत पर जानकारी प्रदान नहीं की है। प्रदान की गई तिमाही जानकारी में महत्वपूर्ण भिन्नता दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा, पिछले मामलों में प्रक्रिया के समान ही, प्राधिकारी ने इनवॉयस की तारीख पर विचार किया है, जैसा कि सामान्य व्यापार प्रक्रिया के दौरान रखे गए, निर्यातक या निर्माता के रिकार्ड में दर्ज किया गया है, इसे बिक्री की तारीख के रूप में माना जाता है।

54. एसआई ग्रुप इंक के लिए निर्यात कीमत कंपनी द्वारा किए गए सभी निर्यातों के आधार पर ऐसे निर्यातों की मात्रा और मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। उक्त निर्यात कीमत कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए निर्यातक द्वारा दावा किए गए खर्चों के लिए समायोजित किया गया है। इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत

55. संयुक्त राज्य अमेरिका से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत की गणना नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है। इस प्रकार विचार की गई निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.3. पाटन मार्जिन का निर्धारण

56. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक/ देश	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
		यूएस डॉलर/ मी.टन	यूएस डॉलर/ मी.टन	यूएस डॉलर/ मी.टन	%	(रेंज %)
1	**सिंगापुर**	*** (सीएनवी के आधार पर)	***	***	***	40-50
2	**कोरिया**	***	***	***	***	
I	एसआई ग्रुप कोरिया	***	***	***	***	40-50
II	अन्य उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	50-60
3	**संयुक्त राज्य अमेरिका**	***	***	***	***	
I	एसआई ग्रुप इंक	***	***	***	***	280-290
II	अन्य उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	380-390

छ. <u>क्षति निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच</u>

57. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में समान वस्तुओं ,पाटित आयातों की मात्रा ..." *के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल "... सकता हो।* कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत मेंसमान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव

से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई हैजो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग , पर पाटित आयातोंं के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है ।

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

58. क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) एक 'स्थापित' उद्योग का निर्धारण 'सकारात्मक साक्ष्य' और विश्वसनीय तथ्यों से प्राप्त उचित मान्यताओं पर आधारित होना चाहिए। स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर (एसबीआर) जांच के अंतिम निष्कर्षों में प्राधिकारी ने कहा है कि एक विकासशील या नवजात उद्योग के मामले में मैटिरियल रिटार्डेशन की जांच उन उद्योगों पर लागू होती है जिन्होंने अभी तक बाजार में स्वयं को पूरी तरह से स्थापित नहीं किया है।

ii) डब्ल्यूटीओ पैनल में पाया था कि मौजूदा उद्योग के भीतर एक नई उत्पाद श्रृंखला की शुरुआत जरूरी नहीं की, एक नया उद्योग बनाया जाए। मौजूदा आवसंरचना के साथ ओवरलैप होने की मात्रा एक नए उद्योग की स्थापना के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही, डीजीटीआर द्वारा डीसीसी मामले में भी विचार किया जाता है।

iii) चीन जन.गण. ताइवान, और वियतनाम से विनाइल टाइल के मामले में- डीजीटीआर ने यह पाया कि केवल विनिर्माण इकाई वेलस्पन फ्लोरिंग लिमिटेड (डब्ल्यूएफएल) एक नवजात उद्योग है न कि बिक्री संस्था वेल्स्पन ग्लोबल ब्रांड लिमिटेड (डब्ल्यूजीबीएल) है।

iv) वीओएल, चूंकि रसायन के कारोबार में एक मौजूदा भागीदार है। अतः उसने एक नई उत्पाद लाइन शुरू करने को चुना है। यह संभावना है कि वे उत्पाद बेचने में मौजूदा अवसंरचना जैसे ग्राहक संपर्क और वितरण चैनलों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, नई उत्पाद लाइन की शुरुआत आवश्यक रूप से एक नया उद्योग नहीं होता।

v) प्रतिवादी ने यह तर्क दिया है कि अन्य उत्पाद लाइनों और पैरा-टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल (पीटीबीपी) लाइन के लिए उपयोग की जाने वाली आवसंरचना में ओवरलैप की एक मात्रा है, जो यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या पीटीबीपी को 'नया उद्योग' माना जा सकता है।

vi) विनाती कई प्रकार के ब्यूटाइल फिनोल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, अतः इनकी जांच की जानी चाहिए कि क्या इसकी समर्पित क्षमता विनिवेश है और क्या वित्तपोषण और व्यवहार्यता अध्ययन विशेष रूप से जांच की अवधि के लिए किए गए थे।

vii) जैसे ही वे एक निश्चित उत्पाद का उत्पादन शुरू करते हैं और ऐसी स्थिति में जब कोविड-19 के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन था, किसी भी उद्योग में बाजार पर कब्जा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उद्योग को 6-9 माह के लिए गुणवत्ता संबंधी जांच से गुजरना पड़ता है। जांच की अवधि के दौरान, विनाती ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में लगभग 46% और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में लगभग 40% बाजार हिस्सेदारी हासिल की और वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में 39% बाजार हिस्सेदारी है। डब्ल्यूटीओ पैनल में यह कहा कि 40% और उससे अधिक बाजार हिस्सेदारी स्थिरता और स्थापना को इंगित करती है।

viii) इन डीजीटीआर मामलों में यह भी माना गया है कि कम बाजार हिस्सेदारी के मामलों में मैटिरियल रिटार्डेशन है:

क) वेनिर्ड फ्लोरिंग- आयातों का बाजार में काफी हिस्सा था। घरेलू उद्योग का हिस्सा 17% (वार्षिक)

ख) पीवीसी फ्लेक्स- घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 15% (वार्षिक) तिमाही आधार पर अधिकतम 26%, क्षमता उपयोग 30%

ग) इलैक्ट्रोगेल्वेनाइज्ड स्टील- तिमाही आधार पर 24% हिस्सा अधिकतम

घ) बिना बुना फैब्रिक- घरेलू उद्योग का 10% बाजार हिस्सा (वार्षिक)

ix) यद्यपि याचिकाकर्ता का पीबीआईटी लगभग पूरी क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक बना हुआ है, आरओआई, जो कि पीटीआईटी है, क्योंकि नियोजित पूंजी का प्रतिशत पूरी क्षमता अवधि के दौरान नकारात्मक रहा है।

x) जांच की अवधि के बाद याचिकाकर्ता के प्रदर्शन में काफी सुधार आया है, क्योंकि

xi) परियोजना रिपोर्ट ब्यूटाइल फिनोल संयंत्र के लिए थी और विचाराधीन उत्पाद के लिए व्यक्तिगत उत्पादन लाइन के लिए कोई अनुमान नहीं दिया गया था। इसे वर्ष 2016 में तैयार किया गया था और परियोजना रिपोर्ट में अनुमान वर्ष 2016 में बाजार की स्थिति के अनुसार थे।

xii) याचिकाकर्ता ने केवल इनपुट कीमतों में उचित समायोजन किया है, न कि अनुमानित बिक्री की मात्रा में, कोविड के कारण 2016 के बाद प्रभावित हुई है।

xiii) कोविड-19 महामारी, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनैतिक कारकों जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट में समायोजन किया जाना है।

xiv) लॉकडाउन का भी प्रभाव है, भले ही संयंत्र को बंद नहीं किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। श्रमिकों के प्रवास के कारण कम क्षमता के उपयोग के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया था।

xv) याचिकाकर्ता को अपने कुल कारोबार में नुकसान और गिरावट का सामना करना पड़ा। वे केवल विचाराधीन उत्पादन के लाभदायक होने की उम्मीद नहीं कर सकते।

xvi) याचिकाकर्ता को अपनी कीमत में अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई और आयात शुल्क लागत को कारक नहीं बनाना चाहिए, ताकि वह भारतीय बाजार में कम कीमतों की पेशकश कर सके। वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के दौरान माल ढुलाई लागत में लगभग 10 गुणा वृद्धि हुई थी।

xvii) एसआई ग्रुप ने ब्यूटाइल फिनोल में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन को इंगित करने के लिए निम्नलिखित बाजार अनुसंधान रिपोर्टों का हवाला दिया है:

क. आनंद राठी रिपोर्ट: ब्यूटाइल फिनोल संयंत्र मुख्य रूप से मूल्य वर्धित उत्पादों (एंटी ऑक्सिडेंट) के उत्पादन के लिए 45% तक सीमित रूप से उपयोग किया जाता है।

ख. आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट- ब्यूटाइल फिनोल सेगमेंट में विनाती का असाधारण प्रदर्शन

ग. चोला वेल्थ की रिपोर्ट- विनाती की क्षमता विस्तार योजनाओं का मुख्य उद्देश्य एंडी ऑक्सिडेंट का निर्माण करना था।

xviii) निर्यातकों ने व्यापार के अवसर खो दिए हैं क्योंकि वे याचिकाकर्ता की कम कीमतों से मेल खाने में असमर्थ थे। सैम्पल ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि ग्राहक मूल्य मिलान के लिए कह रहे हैं और प्रतिवादियों की, याचिकाकर्ता की मूल्य निर्धारण रणनीति के कारण सौदों को सुनिश्चित करने में असमर्थता है।

xix) वर्ष 2019 की शुरुआत से, आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए कमोडिटी बाजार मूल्य आयातित विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमतों के अनुरूप था। जुलाई, 2020 में जब विनाती के बाजार में प्रवेश किया था, तो कीमतों में लगातार गिरावट आई थी। जनवरी 2021 तक, कच्चे माल और समुद्री मालभाड़ा की लागत में वृद्धि होने के कारण आयात की कीमतों में काफी वृद्धि होने लगी थी।

xx) याचिकाकर्ता के प्रतिस्पर्धियों ने उत्पाद की गुणवत्ता, आपूर्ति की विश्वसनीयता और विनाती के बाजार की प्रमुख कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कीमतों को कम करने के कारण ग्राहकों को बनाए रखा।

xxi) आइसो ब्यूटाइलेन के उत्पादन के लिए मिथाइल टर्श- ब्यूटाइल ईथर (एमटीबीई) का उपयोग करने के लिए याचिकाकर्ता की पसंद, जिसमें रूस- यूक्रेन युद्ध से उपजी गैस और गैसोलीन की मांग के कारण लागत में वृद्धि हुई, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की उच्च लागत में वृद्धि हुई।

xxii) याचिकाकर्ता ने उत्पादित विभिन्न उत्पादों के लिए क्षमताओं के आधार पर किए गए सामान्य खर्चों को आबंटित किया है। प्राधिकारी को खर्चों को अबंटित करने के आधार पर शुद्धता का मूल्यांकन करना चाहिए।

xxiii) याचिकाकर्ता 4 प्रकार के ब्यूटाइल फिनोल का निर्माण करता है, जिसे उत्प्रेरक को बदलकर और मोलर अनुपात परिवर्तित करके उसी उत्पादन लाइन पर निर्मित किया जा सकता है। वीएपीएल के साथ विनाती का विलय करके, विनाती अपनी ब्यूटाइल फिनोल क्षमता को आंतरित कर सकता है, ताकि आगे डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्माण के लिए अपनी कैप्टिव खपत की पूर्ति कर सके। इससे विचाराधीन उत्पाद कर एक मांग आपूर्ति अंतर उत्पन्न होगा।

xxiv) तैयार वस्तुओं में डब्ल्यूआईपी को शामिल करना एक गलत पद्धित है।

xxv) याचिकाकर्ता को अपने उत्पादन आउटपुट, उत्पादन गुणवत्ता के साथ संबद्ध आयात से असंबंधित आंतरिक मामलों का सामना करना पड़ा है और ग्राहकों के साथ अपने उत्पादों को योग्य बनाना था। ग्राहकों के साथ, योग्यता प्रक्रिया में सामान्य तौर पर 6 से 9 माह लगते हैं। सितंबर, 2022 में शुरू होने वाले उत्पादन आउटपुट की समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे शिपमेंट में देरी हुई और यहां तक कि रखरखाव के लिए संयंत्र बंद हो गया।

xxvi) अपने संयंत्र को प्राप्त करने और स्वीकार्य तौर पर चलाने के लिए शटडाउन विनाती की समस्या का एक अन्य लक्षण है। घरेलू विचाराधीन बाजार की आपूर्ति करने की क्षमता का दावा करने के बावजूद, विनाती की गुणवत्ता और आपूर्ति की समस्या ग्राहकों की जरूरतों की पूर्ति करने की उनकी क्षमता के बारे में संदेह उत्पन्न करती है।

xxvii) महाराष्ट्र में जांच की अवधि के दौरान कोविड के चलते कई लॉकडाउन थे। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ता है, भले ही संयंत्र को बंद नहीं किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

xxviii) विनाती ने याचिका के पैरा 9 में कहा है कि विचाराधीन उत्पाद पर लागू मूल सीमा शुल्क 75% है। हालांकि याचिका के अनुबंध-ख में विनाती ने दक्षिणी कोरिया से विचाराधीन उत्पाद के भूमि मूल्य की गणना करते समय सीमा शुल्क को "शून्य" माना है।

xxix) विनाती ने अनुकूलतम उपयोग पर विचार करते अनुमानिक (नोशनल) उत्पादन तक पहुंचने के लिए अपनाई गई कोई भी कार्यप्रणाली प्रदान नहीं की गई है।

xxx) प्रचालन के पहले वर्ष में 80% बाजार हिस्सेदारी के बैंचमार्क से ही पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुमान अवास्तविक हैं।

xxxi) जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई है।

xxxii) प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि विनाती द्वारा दावा की गई ब्रेकईवन थ्रेसहोल्ड क्या है और क्या ऐसी सीमा उचित है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत क्षति की अवधि के दौरान भिन्न है।

xxxiii) याचिकाकर्ता इस विश्लेषण में समान परिभाषा का उपयोग नहीं कर सकता है कि क्या पीटीबीपी की उत्पादन सुविधाओं और विनाती द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों में ओवरलैप है। परिभाषा यह पहचानने के उद्देश्य के लिए है कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु जांच के अधीन वस्तु के समान है।

xxxiv) यदि प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि याचिकाकर्ता पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित है और जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान जांच में याचिका में मैटिरियल रिटार्डेशन का आरोप लगाया गया है, तो प्राधिकारी वास्तविक क्षति की जांच नहीं कर सकते।

छ.2. घरेलू उद्योग के विचार

59. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किया गया था:

i) याचिकाकर्ता ने 4 बुटाइल फिनोल के लिए लोट में एक नया संयंत्र स्थापित किया है। पीटीबीपी के पास *** मी. टन में से करीब *** मी. टन आबंटित क्षमता है।

ii) ब्यूटाइल फिनोल के उत्पादन के लिए उपयोग की जा रही भूमिका भूखंड 2014-15 में विस्तार या विविधीकरण के उद्देश्य से खरीदा गया था। इस प्रकार, ब्यूटाइल फिनोल के लिए उपयोग की जाने वाले भूमि अलग है और पहले से मौजूदा उद्योग से किसी भी ओवरलैप के बिना है, जो लोट साइट में अन्य उत्पादों का निर्माण करता है।

iii) जुलाई 2020 में, आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू होने से पहले, भारत में पीटीबीपी का कोई उत्पादन नहीं था। भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए समग्र मांग आयात से पूरी हो रही थी, जो अधिकांशतः संबद्ध देशों से थी।

iv) जबकि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन जारी है, क्षमता उपयोग भी उप-ईष्टतम स्तर पर जारी है। याचिकाकर्ता ब्रेक ईवन प्वाइंट को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

v) याचिकाकर्ता केवल उस सीमा तक बिक्री प्राप्त कर सकता है, जब तीसरे देशों ने बाजार को खाली कर दिया और महत्वपूर्ण वित्तीय हानि उठाने के लिए विवश हो गया।

vi) याचिकाकर्ता के लिए पहले से मौजूदा क्षेत्र में नए उद्योग के लिए एक नया बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया था।

vii) अन्य उत्पादों के लिए पहले से मौजूद क्षेत्र में नए उद्योग के लिए एक नया बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया था।

viii) याचिकाकर्ता ने पहले फार्मास्यूटिकल्स के साथ कारोबार किया, अब परफ्यूमरी और रेजिन में कारोबार किया है। पीटीबीपी संयंत्र मौजूदा भूमि का नया विस्तार है और विभिन्न यूटिलिटी का उपयोग कर रहा है। उपरोक्त और वितरण चैनल अलग-अलग है।

ix) इस अवधि में 80% के लक्षित/ अपेक्षित/ प्राप्त/ उचित स्तरों की तुलना में जांच की अवधि में बाजार की हिस्सेदारी केवल *** थी।

x) क्षमता उपयोग वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के तुरंत बाद घटकर *** हो गया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि नए उत्पाद की क्षमता के उपयोग में वृद्धि के बाद गिरावट आएगी।

xi) डब्ल्यूटीओ मामला पूरे एक साल की अवधि के लिए बाजार हिस्सेदारी का हवाला देता है न कि विशिष्ट तिमाही के लिए। दैनिक रिपोर्ट ने बाजार हिस्सेदारी की स्थिरता की जांच करते समय उत्पाद की प्रकृति के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

xii) उत्पाद और व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता ने स्थापना के पहले वर्ष में उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी के उच्च स्तर का अनुमान लगाया था, जो आयात के कारण संभव नहीं था।

xiii) घरेलू उद्योग ने असंबद्ध देशों द्वारा खोई गई मात्रा की सीमा तक लगभग मात्रा को प्राप्त कर लिया है और संबद्ध देशों ने मांग में वृद्धि की सीमा तक मात्रा प्राप्त कर ली है।

xiv) आयातों की मात्रा में वृद्धि देखी गई है और फिर क्षति की अवधि में कुछ गिरावट आई है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के साथ ही आयातों की मात्रा में काफी गिरावट आई होनी चाहिए थी। हालांकि, आयातों की मात्रा काफी अधिक रही। इस प्रकार, आयातों की मात्रा भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में महत्वपूर्ण है।

xv) याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि परियोजना की कल्पना किए जाने पर प्रचालित लक्ष्य कीमतों और कीमतों को ध्यान में रखते हुए कीमत कटौती का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह वे कीमतें थीं, जिन पर परियोजना पर निर्णय लेते समय घरेलू उद्योग ने विचार किया था। यह दिखाएगा कि आयात के कारण महत्वपूर्ण मूल्य में कमी हो रही है, जिससे घरेलू उद्योग को उन अनुमानित कीमतों को लक्षित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है।

xvi) इस अवधि में बिक्री और बिक्री कीमत की लागत में वृद्धि हुई है, हालांकि बिक्री मूल्य बिक्री की लागत के स्तर से भी कम है। आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत के स्तर से काफी कम है। इस प्रकार आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव आया है।

xvii) घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि उत्पादन काफी कम स्तर पर है और स्थापित मांग क्षमता से बहुत कम है।

xviii) उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन सुविधाओं का उपयोग उस सीमा तक करने से रोक दिया है, जो पाटन के अभाव में हो सकती थी।

xix) घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक हानिकारक बिक्री मूल्य की पेशकश के बावजूद, घरेलू उद्योग बाजार में सामग्री बेचने में सक्षम नहीं है।

xx) उत्पादन और बिक्री ने उत्पादन शुरू होने के प्राकृतिक परिणाम के रूप में वृद्धि दिखाई है, हालांकि यह ईष्टतम स्तर से काफी कम है। घरेलू उद्योग संयंत्र की स्थापना के समय अपने द्वारा नियोजित ईष्टतम स्तरों के लिए अपने उत्पादन और क्षमता उपयोग को बढ़ाने में सक्षम नहीं है।

xxi) याचिकाकर्ता ने अपने संचालन के पहले वर्ष में निवेश पर लाभ, नकद लाभ और सकारात्मक प्रतिफल अर्जित करने का अनुमान लगाया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के देश में पाटन के कारण काफी वित्तीय हानि हो रही है।

xxii) इलेक्ट्रोग्लेवेनाइज्ड स्टील मामले में घरेलू उद्योग के पास अपने संचालन के पहले वर्ष में भी लाभ था और प्राधिकारी ने अभी भी कहा है कि उसे क्षति का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वास्तविक लाभ अपेक्षित लाभ की तुलना में कम हो गया था। इस प्रकार, मात्रा संबंधी मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार इस तथ्य के कारण नहीं है कि यह आयातों से क्षति का सामना नहीं कर रहा है।

xxiii) घरेलू उद्योग का वास्तविक प्रदर्शन उस स्तर से काफी कम है, जैसा कि संयंत्र की स्थापना के दौरान अनुमानित किया गया था। इस प्रकार, आयातों से घरेलू उद्योग को अपने लक्षित परिणामों को हासिल करने से रोक दिया है।

xxiv) अन्य देशों से आयात न्यूनतम सीमा से कम है और इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहा है। वास्तव में याचिकाकर्ता ने अन्य देशों द्वारा खोई गई मात्रा को प्राप्त कर लिया है।

xxv) क्षति की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ गई है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे हालिया अवधि में मांग में कुछ गिरावट आई थी, घरेलू उद्योग को क्षति उस कारण से नहीं हो सकती थी, क्योंकि उत्पादन और बिक्री मांग के स्तर से काफी कम है।

xxvi) घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा अपनाई जा रही तकनीक से तुलनीय है। विनिर्माण प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

xxvii) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

xxviii) ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है, जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति में योगदान दे सके।

xxix) उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए प्रौद्योगिकी में विकास दावा की गई चोट का कारक नहीं है।

xxx) प्रदान किया गया क्षति संबंधी डेटा, पूरी तरह से घरेलू उद्योग के घरेलू संचालन को संदर्भित करता है और निर्यात प्रदर्शन के प्रभाव को अलग कर दिया गया है।

xxxi) प्रदान किया गया क्षति संबंधी डेटा, पूरी तरह से विचाराधीन उत्पाद के प्रदर्शन से संबंधित है। अतः दावा की गई क्षति उन्य उत्पादों के प्रदर्शन के कारण नहीं है।

xxxii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के बाद भी, आयातों की मात्रा अधिक बनी हुई है। सामान्य बाजार स्थितियों में, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के साथ ही आयातों की मात्रा में तेजी से गिरावट आई होगी।

xxxiii) उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को रोक रहा है और इसलिए घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का ईष्टतम स्तर तक उपयोग करने में असमर्थ है।

xxxiv) आयातों से कीमतें कम हो रही हैं। कीमतों में कमी से घरेलू उद्योग को लागत और उचित लाभ की सीमा तक कीमतें बढ़ाने से रोक दिया गया है।

xxxv) आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दवाब पड़ रहा है।

xxxvi) संबद्ध देशों से आयात का भूमि मूल्य संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की वर्तमान और अनुमानित लागत से कम है।

xxxvii) भले ही घरेलू उद्योग के पास देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है लेकिन आयात बाजार में बहुमत हिस्सेदारी रखता है, और घरेलू बाजार अल्पसंख्यक हिस्सेदारी है।

xxxviii) वर्ष 2016 में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए पूर्ण-व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रदान की गई थी, जिसे बाद में संशोधित किया गया था। पूर्ण व्यवहार्यता रिपोर्ट संख्या को लागत और परियोजना समय-सीमा के आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पर्यावरणीय मंजूरी तेजी से प्राप्त होने की उम्मीद थी। हालांकि यह केवल मार्च, 2018 में प्राप्त हुआ था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने मार्च, 2019 में स्थापित करने की सहमति प्राप्त की और उसके बाद मार्च, 2020 में कार्य करने की सहमति प्राप्त की। ब्यूटिल फिनोल संयंत्र के लिए अनुमानित निवेस को स्थापित क्षमता के आधार पर पीटीबीपी संयंत्र में विभाजित किया गया है।

xxxix) कोविड-19 के कारण कच्चे माल की उपयोगिता मूल्य में कोई भी वृद्धि एक वैश्विक घटना होगी। बिक्री मूल्य इसी वृद्धि के कारण होना चाहिए था, लेकिन कम कीमत के आयातों के कारण इसे रोका गया था।

xl) अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि याचिकाकर्ता कोविड के कारण टर्नओवर और लाभ में गिरावट का सामना कर रहा था और फिर यह दर्शाने के लिए बाजार की रिपोर्ट का हवाला देता है कि याचिकाकर्ता ब्यूटाइल फिनोल और अन्य उत्पादों में लाभ कमा रहा था। पक्षकार याचिकाकर्ता के प्रदर्शन पर अपने स्वयं के बयानों का खंडन कर रहे हैं।

xli) वस्तुओं की बढ़ती आयात कीमतों से याचिकाकर्ता को लाभ होना चाहिए था, लेकिन यह अभी भी नुकसान का सामना कर रहा था। घरेलू उद्योग को आदर्श रूप से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए था, क्योंकि यह निकटता के लाभ के साथ मांग को पूरा करता था। हालांकि बाजार में पाटन और हानिकारक आयातों के कारण यह अभी भी बाजार में अपनी जगह नहीं बना पा रहा था।

xlii) एक नया निर्माता होने के कारण, ग्राहक याचिकाकर्ता से नहीं खरीदेंगे, यदि वे आयात के लिए इसकी कीमत को बैंचमार्क नहीं करते हैं। कीमतें अत्यधिक बाजार से चालित हैं। सामान्य प्रक्रिया की तरह, ग्राहक घरेलू उद्योग और निर्यातकों

द्वारा उद्धृत कीमतों की तुलना करते हैं और काफी चर्चा के बाद वे घरेलू उद्योग से निर्यातकों की तुलना करने के लिए कीमतों को कम करने के लिए कहते हैं।

xliii) यह संदर्भ बाजार की कीमतों का है, न कि पक्षकार की कीमत के लिए है। सूचना को गोपनीय नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादियों ने यह स्वीकार किया कि बाजार में प्रवेश करने पर मूल्य निर्धारण में गिरावट आई। इससे ही पता चलता है कि घरेलू बाजार में विनाती को पैर जमाने से रोकने के लिए कीमतों को कम किया गया था।

xliv) वीओएल को बाजार में प्रचलित मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारित करने के लिए मजबूर किया जाता है, अर्थात आयातों की भूमि कीमत के आधार पर, भले ही याचिकाकर्ता बुनियादी कच्चे माल के आधार पर कीमतों को निर्धारित करने का प्रयास करता है और फार्मूला मूल्य निर्धारण के आधार पर अनुबंध करता है।

xlv) एक ओर हितबद्ध पक्षकार तर्क देते हैं कि संबद्ध देशों ने मात्रा और ग्राहकों को बनाए रखा है और दूसरी ओर वे तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता संबद्ध देशों को बाहर निकाल रहा था और उन्हें कम कर रहा था।

xlvi) दावा की गई क्षति स्टार्ट-अप संचालन के कारण नहीं है। घरेलू उद्योग ने वास्तविक लागत के आधार पर मूल्य मापदंडों की सूचना नहीं दी है।

xlvii) स्पष्ट रूप से एक ग्राहक को याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई अधिक अशुद्ध सामाग्री का एक मामला है। उपभोक्ताओं के विभिन्न खंडों के कारण अशुद्धता के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता होती है और याचिकाकर्ता ने विभिन्न ग्राहक खंडों द्वारा अपेक्षित अशुद्धता स्तरों का उत्पादन और आपूर्ति की है।

xlviii) मिथाइल टर्श- ब्यूटाइल ईथर (एमटीबीई) और टर्श-ब्यूटाइल अल्कोहल [(CH3)3COH)] दोनों की मूल्य गति एक ही प्रवृति का अनुसरण करती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी आइसोब्यूटाइलीन के बाजार मूल्य पर विचार करते हुए पीटीबीपी के उत्पादन की लागत निर्धारित कर सकते हैं। इससे आइसोब्यूटाइलीन में लागत से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान कर दिया जाएगा।

xlix) इस आधार पर व्यय सही तरीके से आबंटित किए जाते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने ईष्टतम उत्पादन भी प्राप्त नहीं किया है। वास्तविक उत्पादन पर खर्च का

विभाजन और उसके बाद उसे लक्षित उत्पादन के साथ विभाजित करना अत्यधिक अनुचित होगा।

l) डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री का हिस्सा है।

li) याचिकाकर्ता ने नई उत्पादन लाइनें स्थापित की हैं और इसे व्यक्तिगत उत्पादों के लिए समर्पित किया है। विभिन्न ब्यूटाइल फिनोल के उत्पादन के लिए एक ब्यूटाइल फिनोल उत्पाद की उत्पादन लाइन का उपयोग करना संभव नहीं है। इन सभी 4 उत्पादों में 3 अलग/स्वतंत्र रिएक्टर हैं। डिस्टिलेशन कॉल उत्पाद की विशेषताओं, शुद्धता स्तरों और अशुद्धता प्रोफाइल के आधार पर डिजाइन किए गए हैं और प्रत्येक उत्पाद के लिए समर्पित है।

lii) याचिकाकर्ता ने भारत में आयात को संभावित मांग के रूप में माना था। मांग में वृद्धि हुई, लेकिन याचिकाकर्ता ने लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान उत्पादन बंद नहीं किया। परियोजना रिपोर्ट में विचार की गई कच्चे माल की कीमतों को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए, वास्तविक कच्चे माल की कीमतों के अनुसार संशोधित किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी को ऐसे प्रमुख कारकों पर विचार करना चाहिए, जो प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, न कि अंसगत कारकों पर, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों तर्क दिया गया है।

liii) इसके अलावा, शटडाउन बहुत ही कम समय के लिए था और मांग को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित नहीं किया है। याचिकाकर्ता स्टॉक के प्रतिकूल उत्पादन करता हैं और स्टॉक को बेचता है तथा पूरी अवधि में पर्याप्त वस्तु सूची (इन्वेंट्री) थी।

liv) उत्पाद की मंजूरी में औसतन करीब 3-6 माह लगते हैं, न कि 6-9 माह, जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा तर्क दिया गया है याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी को ईमेल संचार के साथ साक्ष्य प्रदान किए हैं जिनसे कि ग्राहकों द्वारा उत्पाद को 3 माह में अनुमोदित किया गया था।

lv) याचिकाकर्ता ने दक्षिण कोरिया से विचाराधीन उत्पाद के भूमि मूल्य की गणना के लिए सीमा शुल्क को "शून्य" के रूप में लिया था, जिसे 7.5% तक संशोधित किया गया है। तथापि, यहां तक कि जब भूमि मूल्य की गणना 7.5% के लागू

सीमा शुल्क के साथ की जाती है, तो विचाराधीन उत्पाद का भूमि मूल्य न केवल याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत से कम है, बल्कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से भी कम है। इस प्रकार, कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक रही है ।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

60. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन उद्योग की स्थापना में वास्तविक धीमापन के संबंध में है। इस प्रकार, क्षति की विस्तृत जांच करने के पूर्व, प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग उस सीमा तक एक स्थापित उद्योग था जिस सीमा तक वास्तविक क्षति के रूप में क्षति के आकलन की अनुमति दी गई थी अथवा घरेलू उद्योग एक आरंभिक उद्योग था अथवा स्थापना की प्रक्रिया के आरंभिक चरण में था तथा क्षति के रूप में वास्तविक क्षति के आकलन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विगत इतिहास नहीं था।

छ.3.1 उद्योग के स्थापना में वास्तविक धीमापन

61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा की गई वास्तविक धीमापन जांच तथा वास्तविक धीमापन से संबंधित अन्य साहित्य को शामिल करते हुए पूर्व की अनेक जांचों पर विश्वास किया है। इस प्रकार के अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक विचार किया गया है, जिस सीमा तक वे वर्तमान जांच से संगत थे। प्राधिकारी ने इस संबंध में डीजीटीआर द्वारा जारी किए गए उद्योग के वास्तविक धीमापन के संबंध में विगत जांच परिणामों पर भी ध्यान दिया है।
62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार अथवा पाटनरोधी नियमावली इसे परिभाषित नहीं करता है कि नया उद्योग क्या है। "घरेलू उद्योग की स्थापना के संबंध में वास्तविक धीमापन" को भी परिभाषित नहीं किया गया है1 अनुच्छेद 3 के फुटनोट 9 में निम्नलिखित उल्लेख है:

> *इस करार के अन्तर्गत पारिभाषिक शब्द 'क्षति', यदि इसका उल्लेख अन्य प्रकार से नहीं किया गया हो, का आशय घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति, घरेलू उद्योग*

को वास्तविक क्षति के खतरे अथवा ऐसे उद्योग की स्थापना को वास्तविक धीमापन समझा जाएगा और इसकी व्याख्या इस अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुसार की जाएगी।

63. "वास्तविक धीमापन" की अवधारणा "स्थापना की प्रक्रिया में उद्योग" की अवधारणा की परिभाषा से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है।
64. पाटनरोधी करार के संशोधन के लिए विश्व व्यापार संगठन में प्रस्ताव जिसमें "वास्तविक धीमापन" और "स्थापित न किया हुआ उद्योग" के अभिप्राय के संबंध में स्पष्टता का प्रावधान है, के संबंध में, प्रारूप प्रस्ताव के संगत भाग निम्नानुसार है। यद्यपि उक्त प्रावधान को करार में अब तक शामिल नहीं किया गया है, प्राधिकारी ने निर्धारण करने के लिए उस पर भी विचार किया।

"3.9 घरेलू उद्योग की स्थापना के वास्तविक धीमापन का निर्धारण तथ्यों पर न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा दूर की संभावना पर आधारित होगा। किसी भी उद्योग को स्थापना में होना माना जा सकता है जहां एक वास्तविक और पर्याप्त संसाधन की प्रतिबद्धता आयात करने वाले सदस्य के प्रक्षेत्र में पूर्व में उत्पादन न किए गए समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के लिए की गई है परंतु उत्पादन अभी शुरु नहीं हुआ है अथवा व्यापारिक मात्राओं में इसे प्राप्त नहीं किया गया। इस तथ्य का निर्धारण करने में कि क्या किसी उद्योग की स्थापना की गई है और उस उद्योग की स्थापना पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच करने मे, प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ संस्थापित क्षमता, किए गए निवेशों और प्राप्त किए गए वित्त और व्यावहार्यता का अध्ययन, निवेश की योजनाओं अथवा बाजार अध्ययनों के संबंध में साक्ष्य पर विचार कर सकता है। "

65. जबकि प्रस्ताव विभिन्न मापदंडों का सुझाव देता है जिन पर किसी उद्योग के स्थापित होने के बारे में निर्धारण करने में किया जा सकता है, यह उद्योग के नया होने और संबद्ध वस्तुओं का हाल में उत्पादन शुरु करने की स्थिति में विचार किए जाने वाले मापदंडों के बारे में कुछ उल्लेख नहीं करता है।
66. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय निकाय की रिपोर्ट, रूस - वाणिज्यिक वाहन, जिसे आगे विश्व व्यापार संगठन के पैनल द्वारा मोरक्को - तुर्की से कुछ हॉट-रोल्ड स्टील पर पाटनरोधी शुल्क के मामले में दोहराया गया था और

यह माना गया था कि अनुच्छेद 3.1 किसी विशेष पद्धति निर्धारित नहीं करता है कि जांच करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का आकलन करने में उसका पालन करना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग स्थापित किया गया हे।

67. प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच करते समय निम्नलिखित मापदंडों की जांच की है कि क्या यह मामला वास्तविक धीमापन की जांच करने के लिए सही है:

क. क्या घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के लिए एक "नया" उद्योग है अथवा क्या विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन केवल घरेलू उद्योग की मौजूदा स्थापित कार्यकलाप का विस्तार है। प्राधिकारी ने कंपनी के मौजूदा उत्पाद लाइनों तथा नए उत्पाद के बीच ओवरलैप की सीमा की जांच की।

ख. घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन कब शुरु किया।

ग. घरेलू उद्योग के प्रचालन, जो जांच की अवधि में प्राप्त किया गया तथा उन प्रचालनों की तुलना में, जिनका अनुमान संयंत्र की स्थापना करते समय लगाया गया था। यदि घरेलू उद्योग ने प्रचालनों के अनुमानित स्तरों को प्राप्त नहीं किया है, क्या वह देश में पाटित आयातों की मौजूदगी अथवा किसी अन्य कारण से हुई है।

घ. कुल मिलाकर घरेलू बाजार के आकार की तुलना में उत्पादन का आकार, क्षमता का उपयोग और घरेलू बिक्री। यदि घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सा और परिणामस्वरूप उत्पादन तथा क्षमता का उपयोग अनुमान के स्तरों से बहुत कम हो, क्या वह देश में पाटित आयातों के मौजूद होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से हुआ है। प्राधिकारी ने उत्पादन की स्थिरता और क्षमता के उपयोग की भी जांच की है। प्राधिकारी ने क्षमता के उपयोग के स्तर पर भी विचार किया है जिसे घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में प्राप्त करना चाहिए था और उसकी तुलना क्षमता के उपयोग के उस स्तर से की है जो घरेलू उद्योग ने प्राप्त किया है।

ड. चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच की वर्तमान अवधि के दौरान ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया है, क्या घरेलू उद्योग को देश में किसी तकनीकी कारणों अथवा ग्राहकों द्वारा उत्पाद की स्वीकार्यता अथवा किसी अन्य नियामक आवश्यकताओं के कारण इस उत्पाद का उत्पादन करने से रोका गया। प्राधिकारी ने इस उत्पाद के मालसूचियों के स्तर और उसके कारणों की भी जांच की है।

च. क्या घरेलू उद्योग लाभप्रदता के उचित स्तर तक पहुंच गया? यदि नहीं, तो क्या उनके कारण इस उत्पाद के पाटन अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक या तकनीकी कारणों से संबंधित हैं।

68. ऊपर में संदर्भित मापदंडों की जांच नीचे विस्तार से की गई है:

छ.3.2 वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक धीमापन

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने लोटे, महाराष्ट्र में संयंत्र में बहुत अधिक निवेश कर संबद्ध वस्तुओं की एक नई निर्माण सुविधा स्थापित की है। जुलाई, 2020 में आवेदक द्वारा उत्पादन आरंभ किए जाने के पूर्व, भारत में पीटीबीटी का कोई उत्पादन नहीं हुआ था और किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने अन्यथा दावा नहीं किया है।

क. क्या याचिकाकता एक "नया" उद्योग है अथवा यह पहले से ही स्थापित प्रचालन का केवल विस्तार है?

70. यह नोट किया जाता है कि पीटीबीटी एक नया उत्पाद है और इसका उत्पादन देश में पहली बार घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना और किए गए सत्यापन ने यह दर्शाया है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन याचिकाकर्ता के मौजूदा और स्थापित उत्पाद प्रचालनों के द्वारा बहुत अधिक हद तक सहायित नहीं है। याचिकाकर्ता ने 39,000 एमटी की कुल वार्षिक क्षमता के साथ बुटाइल फिनोल के चार प्रकारों के लिए लोटे में एक नया संयंत्र स्थापित किया। इन उत्पादों में पारा तरसियरी बुटाइल फिनोल (पीटीबीपी), ओर्थो तरसियरी बुटाइल फिनोल (ओटीबीपी), 24 डाई-तरसियरी बुटाइल फिनोल (2,4 डीटीबीपी), 26 डाई तरसियरी बुटाइल फिनोल (2,6 डीटीबीपी) शामिल है। भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया था कि चार अलग-अलग प्रकार के बुटाइल फिनोल हैं और इनकी अलग अलग क्षमता, अलग अलग उत्पादन सुविधाएं और अलग अलग उत्पादन लाइन हैं। इन क्षमताओं में से, पीटीबीपी के पास *** क्षमता है। घरेलू उद्योग द्वारा यह बताया गया था कि आवेदक के पास अलग अलग बुटाइल फिनोल के लिए समर्पित उत्पादन सुविधाएं हैं और वह इसका उपयोग केवल समर्पित आधार पर करता रहा है। हालांकि, उत्पादन सुविधाएं ऐसी हैं कि उत्पादक एक बुटाइल फिनोल के उत्पादन को रोक सकता है और इन उत्पादन सुविधाओं को अन्य बुटाइल फिनोल के उत्पादन में परिवर्तित कर सकता है। यह बहुत कम अवधि में तथा बिना किसी अधिक खर्च के किया जा सकता है। यह बताया गया था कि दैनिक आधार पर एक बुटाइल फिनोल उत्पाद के

उत्पादन के स्थान पर एक अन्य उत्पाद का उत्पादन करना संभव नहीं था। रिएक्टर अपने आदर्शतम उपयोग के लिए प्रत्येक उत्पाद के लिए समर्पित रहा है और रूटीन मामले के रूप में इसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किए जाने की आशा नहीं है। यह दर्शाया गया था कि डिस्टिलेशन कॉलम उत्पाद विशेषताओं, शुद्धता के स्तर और अशुद्धता प्रोफाइल के आधार पर डिजाइन किया गया है और वे प्रत्येक उत्पाद के लिए समर्पित हैं। इस कारण से, किसी भी बदलाव के लिए प्रयास और कुछ अतिरिक्त निवेश की भी आवश्यकता होगी।

71. याचिकाकर्ता ने पहले से मौजूद उत्पादन सुविधाओं के साथ बिना किसी वास्तविक ओवरलैप के लोटे में बुटाइल फिनोल के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया है। इसने एक नया उत्पाद स्थापित किया है और न कि मौजूदा सुविधाओं के नए उत्पादन लाइन में केवल वृद्धि की है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पीटीबीपी और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन किए जा रहे मौजूदा उत्पादों के बीच बहुत अधिक ओवरलैप है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु का कच्चा माल, आइसोबुटाइलीन (आईबी) का उत्पादन 2010 से वीओएल द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, इसका उत्पादन उसी संयंत्र में नहीं किया जाता है जो विचाराधीन उत्पाद का है। आइसोबुटाइलीन का उत्पादन अलग-अलग संयंत्र में किया जाता है जबकि पीटीबीपी उत्पादन सुविधाओं की स्थापना लोटे में की गई है। निम्नलिखित अंतर पीटीबीपी तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से इसके पुराने संयंत्र (पूर्व से मौजूदा सुविधा), में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन किए गए अन्य उत्पादों के बीच नोट किया गया:

i) पीटीबीपी का एचएस कोर्ड सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अन्तर्गत एक अलग सीमा शुल्क उपशीर्ष 29071940 के अन्तर्गत आता है।

ii) संयंत्र और पीटीबीपी के उत्पादन के लिए तैनात उपकरण में अलग अलग रिएक्टर्स, कैटेलिस्ट्स, डिस्टिलेशन कॉलम और निर्माण सामग्री शामिल है। ये पहले से मौजूद सुविधा में अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा तैनात उपकरण और संयंत्र से अलग हैं।

iii) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल आइसोबुटाइलीन और फिनोल हैं, जो पहले से मौजूद सुविधा में अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे कच्चे माल से पूर्ण रूप से अलग हैं।

iv) आइसोबुटाइलीन का उत्पादन कैप्टिव रूप से इस कंपनी द्वारा किया जाता है। हालांकि, आइसोबुटाइलीन कच्चे मालों के कारण कुल लागतों में प्रमुख कच्चा माल नहीं है। फिनोल के कारण लागत आइसोबुटाइलीन के कारण होने वाली लागत से अधिक है।

v) विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में फिनोल का बुटाइलेशन शामिल है जो पूर्व से मौजूद सुविधा में उत्पादन किए गए अन्य उत्पादों से अलग निर्माण को शामिल करता है।

vi) विचाराधीन उत्पाद मौटे तौर पर फिनोलिक रेसिन और परफ्यूम बनाने वाले उद्योगों में मध्यवर्ती की भूमिका निभाता है, जो पहले से मौजूद सुविधा में उत्पादन किए गए अन्य उत्पादों से अलग है।

vii) वह भूमि, जिसका उपयोग बुटाइल फिनोल के लिए किया जाता है, अलग और पहले से मौजूद उद्योग, जो लोटे कार्यस्थल पर अन्य उत्पादों का निर्माण करता है, से बिना किसी ओवरलैप के है।

viii) पीटीबीपी में में उपयोग की जा रही यूटिलिटीज कुल मिलाकर इस संयंत्र में मौजूदा उत्पादों से लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है। बुटाइल फिनोल संयंत्र में शामिल मुख्य प्रचालन रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन और फ्लेकिंग है। बुटाइल फिनोल के अपेक्षित यूटिलिटीज अर्थात वाष्प, ठंडा जल, डीएम जल, प्रोसेस जल, बिजली और गर्म तेल टीएफएच (थर्मिक फ्यूड हीटर) के लिए कोयला है। इन सभी सुविधाओं, जिनमें वास्प और हवा शामिल नहीं है, की हाल में स्थापना की गई थी। वाष्प कुल उपयोगिता लागत का मात्र 25 प्रतिशत है। हवा बहुत कम होती है। जबकि, बिजली के आपूर्ति भी उसी ग्रिड से होती है, यह बुटाइल फिनोल संयंत्र के लिए एक समर्पित नव-स्थापित ट्रांसफार्मर है।

ix) वीओएल पूर्व में फार्मास्यूटिकल उद्योग, एग्रो फार्मा, जल आशोधन, ऑयल फील्ड ड्रिलिंग, निर्माण, पर्सनल केयर उद्योग के लिए उत्पाद बनाती थी। पीटीबीपी की नई उत्पादन लाइन परफ्यूम और रेसिन उद्योगों के लिए उत्पाद बनाती है।

x) इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू बिक्री का लगभग ***प्रतिशत पीटीबीपी के नए ग्राहकों को होता है। इसके अलावा,

अधिकांश बिक्री परफ्यूम और रेसिन उद्योगों के लिए निर्धारित नए व्यापारी के माध्यम से होता है।

ख. घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन कब शुरु किया?

72. प्राधिकारी नोट करते हैं घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2020 में ही संबद्ध वस्तुओं का व्यापारिक उत्पादन शुरु किया। संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन जांच की अवधि के केवल कुछ महीने पूर्व शुरु हुआ। भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं था। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरु हुआ है, वह उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित स्तरों और इस संयंत्र के व्यापारिक स्तरों तक नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने किए गए अनुमानों के अनुरूप कीमत (विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल इनपुट्स की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तनों के लिए समायोजनों के साथ) प्राप्त नहीं किया है। घरेलू उद्योग का वास्तविक और अनुमानित उत्पादन और बिक्री आंकड़ों की तुलना यह दर्शाती है कि जांच की अवधि में वास्तविक उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों ने अनुमानित स्तरों को प्राप्त नहीं किया है, जो यह दर्शाता है कि उनके अनुमानित व्यापारिक प्रचालन प्रभावित हुए हैं।

ग. प्राप्त प्रचालन बनाम अनुमानित प्रचालन

73. घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न वृहत आर्थिक मापदंडों जैसे उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता का उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल के संबंध में प्राप्त किया गया कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग द्वारा अनुमान लगाए गए स्तरों से बहुत कम है। घरेलू उद्योग ने प्रचालन के अपने पहले वर्ष में ही लाभ का अनुमान लगाया था। लेकिन घरेलू उद्योग अपनी लागतों को वसूल करने में सक्षम नहीं रहे हैं और इसको बहुत अधिक वित्तीय हानि हो रही है। इसके अलावा, अनुमान लगाए गए कार्य-निष्पादन और प्राप्त की गई वास्तविक राशि के बीच अंतर बहुत अधिक है।

घ. कुल मिलाकर घरेलू उद्योग के आकार की तुलना में उत्पादन का आकार, क्षमता का उपयोग और घरेलू बिक्री

74. आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र भारतीय उत्पादक है, जिसने विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग जांच की वर्तमान अवधि के दौरान ***एमटी थी। इसकी तुलना में, घरेलू उद्योग ने

***एमटी की उत्पादन क्षमता स्थापित की है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग इस देश में 100 प्रतिशत बाजार हिस्सा प्राप्त करने की स्थिति में था और 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त कर सकता था। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा लगभग 24 प्रतिशत था, जहां संबद्ध आयात लगभग 74 प्रतिशत था। संबद्ध देशों से आयात भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन से चार गुना अधिक था।

75. बाजार की तिमाही संचलन का भी विश्लेषण किया गया है और यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया अधिकतम बाजार हिस्सा 49 प्रतिशत तक है, जिसे नीचे तालिका से देखा जा सकता है:

मांग/बाजार हिस्सा	**यूनिट**	**पीओआई पहली तिमाही**	**पीओआई दूसरी तिमाही**	**पीओआई तीसरी तिमाही**	**पीओआई चौथी तिमाही**	**पीओआई**
संबद्ध देश	एमटी	3,447	3,357	1,435	1,182	9,420
कोरिया गणराज्य	एमटी	1,635	2,000	1,149	796	5,579
सिंगापुर	एमटी	1,512	937	126	126	2,701
यू एस ए	एमटी	300	420	160	260	1,140
अन्य देश	एमटी	-	304	-	-	304
कुल आयात	एमटी	3,447	3,661	1,435	1,182	9,724
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
	सूचकांक	100	251	776	583	100
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	-	-	-	-	-
कैप्टिव सहित मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***	***
	सूचकांक	100	113	78	61	100

बाजार हिस्सा						
संबद्ध देश	%	95	82	51	53	74
अन्य देश	%	-	7	-	-	2
कुल आयात	%	95	89	51	53	76
घरेलू उद्योग	%	5	11	49	47	24
अन्य घरेलू उत्पादक	%	-	-	-	-	-
कैप्टिव सहित मांग/खपत	%	100	100	100	100	100

76. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 46 प्रतिशत बाजार हिस्सा और वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में लगभग 40 प्रतिशत बाजार हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम था। यह तर्क दिया गया है कि *मोरक्का - तुर्की से कुछ हॉट-रोल्ड स्टील* पर पाटनरोधी शुल्क के मामले में पैनल की रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया कि यदि घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया बाजार हिस्सा बहुत अधिक है, तब यह तथ्य कि ऐसे बाजार को घाटा उठाने के बाद प्राप्त कर लिया गया है, स्थायित्व के निष्कर्ष का आवश्यक रूप से नहीं मानता है। हालांकि यह देखा जाता है कि (क) घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक बाजार हिस्सा और अनुमान लगाई गई क्षमता उपयोग उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए वास्तविक बाजार हिस्से और क्षमता उपयोग से काफी हद तक अधिक था (ख) घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया बाजार हिस्सा वित्तीय हानि की लागत पर है, (ग) घरेलू उद्योग उत्पादन की सीमा तक बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है, (घ) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पिछली तिमाही में गिरावट आई जबकि उसमें वृद्धि होनी चाहिए थी (इस तथ्य पर विचार करते हुए कि नई उत्पादन सुविधाएं देश में स्थापित की गई थी) (ड.) घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया बाजार हिस्सा वह बाजार है जिसे अन्य देश के आयातों से खाली किया गया था। जहां तक संबद्ध आयातों का प्रश्न है, इन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित की गई नई उत्पादन सुविधाओं के बावजूद गिरावट को दर्शाने के बजाए वृद्धि दर्शाई है। इस प्रकार, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा एक तिमाही में प्राप्त किया गया, बाजार में इस उद्योग की स्थायित्व के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था।

77. वास्तव में संबद्ध आयातों की मात्रा में वाणिज्यिक उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा शुरु किए जाने के बावजूद जांच की अवधि में कम होने के पूर्व क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।, जिसे नीचे तालिका से देखा जा सकता है। यह देखा गया है कि वास्तव में घरेलू उद्योग ने उन मात्राओं को प्राप्त किया जिन्हें गैर-संबद्ध देशों के द्वारा खाली किया गया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग गैर-संबद्ध देशों के द्वारा खाली किए गए बाजार के कारण भी कुछ स्तर तक उत्पादन और बिक्री की मामले में अपने आप को स्थापित करने में सक्षम रहा है। जहां तक संबद्ध आयातों का प्रश्न है, इन्होंने कुल मिलाकर अपने स्तरों को बनाए रखा है:

मापदंड	**यूनिट**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
संबद्ध देश	एमटी	8,421	10,250	11,118	9,420
अन्य देश	एमटी	3,719	2,142	1,163	304
घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री	एमटी	एनए	***	***	***
	सूचकांक	एनए	*100*	*4,447*	*6,466*
मांग	एमटी	***	***	***	***
	सूचकांक	*100*	*102*	*118*	*105*
आधार वर्ष की तुलना में परिवर्तन					
संबद्ध देश			1,830	2,697	1,000
अन्य देश			-1,577	-2,555	-3,415
घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री			***	***	***
मांग			***	***	***

78. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने प्राय: उस सीमा तक मात्राओं को प्राप्त किया है, जिस सीमा तक गैर-संबद्ध देशों के द्वारा इसे खोया गया था और संबद्ध देशों ने प्राय: उस सीमा तक मात्राओं को प्राप्त किया, जिस सीमा तक आधार वर्ष से मांग में वृद्धि हुई।

विवरण	**यूनिट**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
संस्थापित क्षमता	एमटी	एनए	***	***	***

सूचकांक		एनए	100	133	133
उत्पादन	एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	1,743	2,321
क्षमता उपयोग	%	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	1,307	1,740
घरेलू बिक्री	एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	4,347	6,361
निर्यात बिक्री	एमटी	एनए	एनए	***	***
सूचकांक		एनए	एनए	100	128

79. उत्पादन और बिक्री के स्तर के मामले में, सामान्य रूप से यह आशा की जाती है कि उद्योग, जिसने हाल में उत्पादन शुरु किया है, नई उत्पादन सुविधाओं के कारण उत्पादन में अस्थिरता का सामना कर सकता है और यह अपने उत्पादन के स्तरों और फलस्वरूप क्षमता के उपयोग में धीरे धीरे वृद्धि करने में सक्षम होगा। इस कारण से, इस तथ्य की जांच की गई थी कि क्या घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग के कम स्तर उत्पादन में अस्थिरता और नई उत्पादन सुविधाओं के कारण थी। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग का अनुमान लगाया था, जबकि प्राप्त की गई वास्तविक क्षमता उपयोग केवल *** है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त की गई उपयोग कुल मिलाकर जांच की अवधि के लिए *** था, जबकि घरेलू उद्योग ने 2021-22 की चौथी तिमाही में *** की क्षमता उपयोग प्राप्त की। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग उस क्षमता उपयोग को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था जिसका अनुमान जांच की अवधि में लगाया गया था और इसे उत्पादन क्षमताओं के कम उपयोग के कारण हानि हुई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग चौथी तिमाही, 2021-22 तक अपने क्षमता उपयोग को बढ़ाने में सक्षम रहा और क्षमता उपयोग में उसके बाद गिरावट आई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग अनुमानित स्तरों की तुलना में बहुत कम था और वह कुछ संभावित तकनीकी बाधाओं के कारण नहीं था। यह नोट किया जाता है कि इस मांग में जांच की अवधि में गिरावट आई थी, हालांकि मांग में बहुत अधिक गिरावट नहीं आई थी जिससे कि अपनी क्षमता का ईष्टतम स्तर तक उपयोग करने से घरेलू उद्योग को रोका जा सके।

ड. क्या घरेलू उद्योग को आयात के अलावा अन्य कारणों से इस उत्पाद का उत्पादन करने से रोका गया है

80. इस तथ्य की जांच की गई है कि क्या अन्य मापदंड जैसे उत्पाद का अनुमोदन, उत्पाद की गुणवता, नई संयंत्र में तकनीकी बाधाएं आदि कम उत्पादन और बिक्री के लिए कारण रहे हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि इन उत्पादों के लिए अनुमोदन समय 6-9 महीने लगता है। नमूना लिए गए ग्राहकों के साथ बिक्री समझौता के रूप में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह भी नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के लिए अनुमोदन में सामान्य तौर पर घरेलू उद्योग को लगभग 3-6 महीने लगते हैं। हालांकि, संबद्ध आयातों में आवेदक द्वारा उत्पादन आरंभ करने के साथ वृद्धि हुई जबकि आदर्शतम रूप से इसमें गिरावट आनी चाहिए थी। गैर-संबद्ध आयातों में गिरावट आई जबकि संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने गैर-संबद्ध आयातों के द्वारा खाली किए गए बाजार की सीमा तक बिक्री की मात्राओं को प्राप्त किया। घरेलू उद्योग बहुत अधिक मात्रा में और घरेलू कीमतों से अधिक कीमत पर निर्यात करने में सक्षम हुआ है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कम उत्पादन के कारण ऐसे कोई कारण नहीं हैं, जिनका उल्लेख हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया है।

81. अन्य पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि इस उत्पाद की गुणवत्ता ईष्टतम स्तर से कम है और यह घरेलू उद्योग से खरीद नहीं करने का विकल्प अपनाने वाले उत्पादकों के लिए एक कारण रहा है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था और प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया था कि उत्पादन किए गए पीटीबीपी में मिलावट है। जबकि कुछ ग्राहक मिलावट के न्यूनतम स्तर का उल्लेख करते हैं जबकि अन्य मिलावट से संबंधित नहीं हैं। रेसिन के उत्पादन के लिए इसका उपयोग करने वाले संबद्ध वस्तुओं के ग्राहक के पास मिलावट के स्तर के लिए आरंभिक सीमा है। हालांकि, परफ्यूम उद्योग के लिए पीटीबीपी का उपयोग करने वाले ग्राहकों का मिलावट का अनुमत्य स्तर है। घरेलू उद्योग दोनों क्षेत्रों में ग्राहकों को अभीष्ट विनिर्देशों के संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने और उसकी बिक्री करने में सक्षम रहा है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उत्तर देने वाले एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा मिलावट के स्तर (जांच की अवधि की बाद की अवधि के दौरान) के संबंध में व्यक्त की गई चिंता का एक उदाहरण था जो रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के अनुरूप था और उसका बाद में समाधान कर लिया गया था। सत्यापन के दौरान यह देखा गया था कि समग्र निर्माण प्रक्रिया

स्वचालित रही है और उस पर नियंत्रण कारखाना के नियंत्रण कक्ष में विपरीत नियंत्रण प्रणाली (डीसीएस) के द्वारा किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के सभी प्रमुख ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है और इस प्रकार उत्पाद गुणवत्ता ग्राहकों द्वारा स्थापित और स्वीकार की गई है। उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा खंडन भी नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग इस उत्पाद का निर्यात करता रहा है और वह भी उच्चतर कीमत पर। इसके अलावा, घरेलू उद्योग गैर-संबद्ध आयातों के द्वारा खाली किए गए बाजार को प्राप्त करने में सक्षम रहा है। किसी भी स्थिति में जांच की अवधि के बाद की अवधि में एक बिक्री पर गुणवत्ता की आरोपित चिंता जांच की अवधि तक आयातों में वृद्धि का समाधान नहीं करता है।

च. क्या घरेलू उद्योग लाभप्रदता/ब्रे-ईवन प्वाइंट तक पहुंच गया?

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन जुलाई, 2020 में आरंभ हुआ और तिमाही दर तिमाही आधार पर उत्पादन के आंकड़े जांच की अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि, उत्पादन में चौथी तिमाही, 2021-22 तक वृद्धि होने के बाद पहली तिमाही 22-23 में गिरावट आई। याचिकाकर्ता ब्रेक-ईवन प्वाइंट प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है। लाभ के आकलन के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा विचार की गई सूचना क्षमता के उपयोग के ईष्टतम स्तर तक उत्पादन की लागत पर विचार करने के बाद है। यदि इस प्रकार के सामान्यीकृत लागत यह दर्शाते हों कि घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पादन की बिक्री में वित्तीय हानि हुई। वास्तविक लागतों पर निर्धारित हानि वास्तव में बहुत अधिक हद तक उच्चतर है।
83. उपर्युक्त विश्लेषण यह संसूचित करता है कि पीटीबीपी का उत्पादन एक नव-स्थापित उद्योग है जिसका याचिकाकर्ता की मौजूदा निर्माण सुविधाओं से बहुत अधिक हद तक ओवरलैप नहीं है। याचिकाकर्ता अपने उत्पादन को स्थिर रखने में सक्षम नहीं रहा है और इसने ब्रेक-ईवन प्वाइंट प्राप्त नहीं किया है। उत्पादन और बिक्री में वृद्धि घाटा उठाकर हुआ है।
84. इस प्रकार, प्राधिकारी ने वास्तविक धीमापन के संबंध में स्थापित समझ के आधार पर यहां नीचे क्षति का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का क्षति की समग्र अवधि के लिए क्षति के विभिन्न मापदंडों के संबंध में प्रचालन नहीं होता है।

85. प्राधिकारी ने इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक कार्य-निष्पादन की भी जांच की है और इसकी तुलना इस तथ्य का आकलन करने के लिए किए गए अनुमानों से की है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के पाटन ने देश में घरेलू उद्योग की स्थापना को बहुत अधिक हद तक धीमा किया है। चूंकि उत्पाद और इनपुट कीमतें, दोनों उन कीमतों पर आधारित थी जो इस अवधि में मौजूद थी जब अनुमान लगाए गए थे और इनपुट कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है, प्राधिकारी ने इनपुट कीमतों में परिवर्तनों को उपयुक्त रूप से समायोजित कर इन अनुमानों पर विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद की कीमतों के बारे में निर्णय अनुमान लगाते समय इनपुट्स के लिए कीमत के आधार पर की गई थी। इसके अलावा, इनपुट्स और उत्पाद की उन्हीं कीमतों पर अनुमान की समग्र अवधि के दौरान विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि ये अनुमान इस तथ्य को विचार करते हुए लगाए गए हैं कि इनपुट्स की कीमतों में किसी परिवर्तन को उपयुक्त रूप से तैयार उत्पाद की कीमतों में दर्शाया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि यदि इनपुट की कीमतों में वृद्धि हुई, तब तैयार उत्पाद की कीमतों में इनपुट्स के कारण लागतों में वृद्धि की सीमा तक और इसके ठीक उलट सीमा तक वृद्धि होगी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इनपुट्स की कीमतों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है क्योंकि अनुमान लगाए गए थे और इस कारण से इनपुट और तैयार उत्पाद, दोनों की कीमतें इनपुट्स की लागत में वृद्धि के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना अपेक्षित है।

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास बहुत कम कैप्टिव खपत है [***एमटी]। उसे घरेलू उद्योग द्वारा की गई घरेलू बिक्री में शामिल किया गया है।

छ.3.3 संचयी आकलन

87. विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3, पाटनरोधी नियमावली का नियम 11 और अनुबंध II (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयात पर एक ही समय में पाटनरोधी जांच की जा रही हो तब निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित करते हों कि:

क) प्रत्येक देश से आयातों की तुलना में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक हो और प्रत्येक

देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत हो अथवा जहां अलग अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम हो, आयात संचयी रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक होता हो; और

ख) आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन आयात किए गए उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयात किए गए उत्पादों तथा समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की रोशनी में उपयुक्त हो।

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन निर्धारित सीमाओं से अधिक है। संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयात की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है।
89. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात उनके बीच प्रतिस्पर्धा करता है और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही समान वस्तुओं के साथ उसी वाणिज्यिक स्थितियों के अंतर्गत तुलनीय बिक्री चैनल के माध्यम से सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा भी करता है।
90. अत: प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयात घरेलू बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के सदृश्य हैं। पाटित आयात भारतीय बाजार में साथ-साथ सभी संबद्ध देशों से हो रहे हैं।

छ. 3.4 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

91. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर घरेलू उद्योग, घरेलू बिक्री और डीजी प्रणाली से प्राप्त लेन-देनवार आयात आंकड़ों के अनुसार विभिन्न स्रोतों से आय के योग के रूप में विचार किया है। उसका विश्लेषण किया गया है और विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा बताई गई है।

मांग	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी -	एनए	100	4,447	6,466

	सूचीबद्ध				
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	-	-	-	-
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	**8,421**	**10,250**	**11,118**	**9,420**
कोरिया	एमटी	5,676	5,665	6,174	5,579
सिंगापुर	एमटी	1,925	3,468	4,004	2,701
यूएसए	एमटी	820	1,117	940	1,140
अन्य देशों से आयात	एमटी	3,719	2,142	1,163	304
मांग/खपत (कैप्टिव सहित)	एमटी - सूचीबद्ध	100	102	118	105

92. यह देखा गया है कि मांग में आधार वर्ष से 2021-22 तक वृद्धि हुई है और इसमें पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 13 प्रतिशत तक गिरावट आई। हालांकि, इस उत्पाद की समग्र मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

छ.3.5 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

क. पूर्ण और सापेक्ष रूप में आयात

93. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और क्षति की जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा नीचे दिया गया है:

विवरण	**यूनिट**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
आयात मात्रा					
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	**8,421**	**10,250**	**11,118**	**9,420**

कोरिया	एमटी	5,676	5,665	6,174	5,579
सिंगापुर	एमटी	1,925	3,468	4,004	2,701
यूएसए	एमटी	820	1,117	940	1,140
अन्य देशों से आयात	एमटी	**3,719**	**2,142**	**1,163**	**304**
कुल आयात	एमटी	12,139	12,392	12,282	9,724
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी-सूचीबद्ध	एनए	100	4,447	6,466
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	-	-	-	-
मांग/खपत	एमटी-सूचीबद्ध	100	102	118	105
आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध और गैर-संबद्ध आयातों में परिवर्तन					
कुल आयात	%	69	83	91	97
भारतीय उत्पादन	%-सूचीबद्ध	एनए	100	6	4
भारतीय मांग	%-सूचीबद्ध	100	119	112	107
संबद्ध देश			1,830	2,697	1000
गैर-संबद्ध देश			-1,577	-2,555	-3,415

94. यह देखा गया है कि:

क. संबद्ध देशों से आयातों में 2021-22 तक वृद्धि हुई और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। इस उत्पाद की मांग में भी 2021-22 तक वृद्धि हुई और फिर उसमें जांच की अवधि में गिरावट आई। जांच की अवधि में आयातों में गिरावट संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट के फलस्वरूप हुई है।

ख. जबकि इस उत्पाद की मांग में क्षति की अवधि के दौरान ***एमटी तक वृद्धि हुई संबद्ध देशों से आयातों में 999 एमटी तक वृद्धि हुई। इस प्रकार, संबद्ध आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि से मामूली रूप से अधिक थी। अन्य शब्दो में, मांग में समग्र वृद्धि संबद्ध आयातों द्वारा ले ली गई थी।

ग. भारत में कुल आयातों में संबद्ध देशों के हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष में ***प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में ***प्रतिशत हो गई जबकि गैर-संबद्ध देशों के हिस्से तेजी से गिरावट आई। संबद्ध आयात जांच की अवधि में भारत में कुल आयातों का लगभग 97 प्रतिशत है।

घ. उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध आयातों में भारत में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किए जाने के बाद गिरावट आई। हालांकि, संबद्ध आयातों का हिस्सा घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किए जाने के बाद भी अधिक रहा। संबद्ध आयात भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग का लगभग *** प्रतिशत पूरा कर रहा है जब घरेलू उद्योग ने देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं स्थापित की हैं।

छ.3.6 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

95. इस नियमावली के अनुबंध-II(ii) के संबंध में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना किए जाने पर पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक अन्य प्रकार से दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्यथा बहुत अधिक हद तक हुई होती।

96. तद्नुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति(एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. <u>कीमत में कटौती</u>

97. कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए, इस उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, जो व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और करों का निवल है, के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखानागत बाद सभी खर्च के लिए बिक्री कीमत को कम करने के बाद कारखानागत स्तरों पर किया गया था।

विवरण	यूनिट	कोरिया	सिंगापुर	यूएसए	संबद्ध देश
आयातित उत्पाद का पहुंच मूल्य	रु./एमटी	1,42,600	1,54,942	83,757	1,39,018
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	0-10	0-10	80-90	10-20

98. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के स्तर से नीचे है। सिंगापुर को छोड़कर आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक हद तक कटौती हो रही थी।

99. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अन्य देशों से निर्यातकों ने व्यापार अवसर खोया है क्योंकि वे घरेलू उद्योग की कमतर कीमतों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। याचिकाकर्ता ने अपने कीमत निर्धारण तंत्र के बारे में बताया जिसमें यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता बाजार में प्रचलित मौजूदा कीमतों के आधार पर ग्राहकों को कीमतें लगाता है। यह विदेशी उत्पादकों द्वारा आयातों की पहुंच कीमत का मूल्यांकन करने के लिए लगाई जा रही कीमतों और आयात आंकड़ों का संदर्भ लेता है जो भारतीय बाजार में कीमतों को बढ़ा रही है। याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि इसकी प्रवृत्ति बाजार में प्रचलित कीमत से मुकाबला करने की है क्योंकि यह एक नया उत्पादक है। याचिकाकर्ता ने अधिक पारदर्शी कीमत सुनिश्चित करने के लिए लागत मार्जिन आधार पर कीमत निर्धारण रणनीति पर ग्राहकों को(इटर्निस और प्रिवि जैसे ग्राहकों को) किए गए प्रस्ताव का साक्ष्य दर्शाया। याचिकाकर्ता द्वारा सुझाव दी गई कीमत निर्धारण नीति पिछले महीने के लिए फिनोल और आइसोबुटाइलीन की कीमतों के

आधार पर सूत्र आधारित कीमत निर्धारण में से एक था। हालांकि, यह दावा किया गया है कि यह लिखित प्रस्ताव निष्फल हो गया क्योंकि यद्यपि सूत्र कीमत निर्धारण के बारे में निर्णय लिया गया था, ग्राहकों ने अन्ततः आयात कीमतों को ही अपना लिया।

ख. <u>कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण</u>

100. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने (क) बिक्री की इकाई लागत, (ख) घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में सूचना पर विचार किया है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्री की सामान्यीकृत लागत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
	सूचकांक	-	100	139	148
बिक्री कीमत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
	सूचकांक	-	100	143	151
आयातों की पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,19,024	1,04,913	1,32,457	1,39,018
	सूचकांक		100	126	133

101. बिक्री की सामान्यीकृत लागत, बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि, बिक्री कीमत क्षति की पूरी अवधि के दौरान बिक्री की लागत की सामान्यीकृत स्तर से भी कम है। आगे यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत के स्तर से बहुत कम है। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि से बहुत कमतर थी। इस प्रकार, आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही थी।

102. यह तर्क दिया गया है कि आयातों की पहुंच कीमत में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस कारण से, प्राधिकारी ने प्रमुख कच्चे मालों की कीमतों और संबद्ध वस्तुओं की लागतों पर उसके प्रभाव की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया। यह देखा गया था कि इस उत्पाद के उत्पादन में शामिल प्रमुख कच्चे मालों की कीमतों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।

हालांकि, आयात कीमतों में कच्चे मालों की लागत में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। जबकि कच्चे माल की लागत में *** प्रतिशत तक वृद्धि हुई, आयात की कीमत में 2020-21 और जांच की अवधि के बीच केवल 33 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। यह उपयोगिताओं की कीमतों में वृद्धि के कारण लागतों में वृद्धि पर विचार किए बिना है।

विवरण	**यूनिट**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
फिनोल की कीमत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
आईबी की कीमत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
फिनोल की लागत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
आईबी की लागत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
आरएम की लागत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
आरएम की लागत	*प्रवृत्ति*	एनए	100	140	151
आयात कीमत -संबद्ध देश	रु./एमटी	1,09,953	96,918	1,22,362	1,28,423
आयात कीमत	प्रवृत्ति		100	126	133

छ.3.7 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

103. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों की निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई हैः

क. <u>क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री</u>

104. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

<u>वार्षिक संचलन</u>

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संस्थापित क्षमता*	एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	133	133
उत्पादन	एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	1,743	2,321
क्षमता उपयोग	%	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	1,307	1,740
घरेलू बिक्री	एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक		एनए	100	4,347	6,361
निर्यात बिक्री	एमटी	एनए	एनए	***	***
सूचकांक		एनए	एनए	100	128

<u>तिमाही संचलन</u>

विवरण	यूनिट	पीओआई तिमाही 1	पीओआई तिमाही 2	पीओआई तिमाही 3	पीओआई तिमाही 4
संस्थापित क्षमता*	एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	262	370	333
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
सूचकांक		100	250	358	317
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	261	850	640

निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सूचकांक		100	83	86	92

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और इसने जुलाई, 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने प्रचालन के अपने पहले वर्ष में ही ***प्रतिशत की क्षमता उपयोग का अनुमान लगाया। जबकि याचिकाकर्ता का उत्पादन और क्षमता उपयोग इस अवधि के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है, हालांकि, उत्पादन और क्षमता उपयोग भारत में मांग और संयंत्र की स्थापना करते समय अनुमानित क्षमता उपयोग के स्तर को ध्यान में रखते हुए बहुत कम है। याचिकाकर्ता अनुमानित ***प्रतिशत की तुलना में तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं की बहुत अधिक मांग के बावजूद जांच की अवधि के दौरान केवल ***प्रतिशत के क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा था। प्राधिकारी ने एनआईपी के निर्धारण के उद्देश्य से जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के लिए उचित क्षमता उपयोग के रूप में ***प्रतिशत क्षमता उपयोग पर विचार किया है और यह मानते हैं कि क्षमता उपयोग का स्तर वही है जो घरेलू उद्योग द्वारा पाटन के नहीं होने पर प्राप्त किया गया होता। वास्तविक क्षमता उपयोग अनुमानित स्तरों से बहुत कम था। देश में उत्पाद के पाटन ने उचित मानी गई क्षमता उपयोग के स्तर को प्राप्त करने से घरेलू उद्योग को रोका है।

106. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने पहले ही जांच की अवधि की तिमाहियों में से एक तिमाही में ***प्रतिशत का क्षमता उपयोग प्राप्त किया है। हालांकि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि (क) वह अभी भी क्षमता उपयोग का स्तर जिसे घरेलू उद्योग के लिए उपयुक्त और तर्कसंगत पाया गया था, से बहुत कम था, (ख) क्षमता उपयोग में बाद की तिमाही में ***प्रतिशत तक तेजी से गिरावट आई। इस प्रकार, क्षमता उपयोग का ***प्रतिशत के इस स्तर को भी घरेलू उद्योग द्वारा नहीं कायम रखा गया था और (ग) घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन लगभग ***प्रतिशत निर्यात किया है।

ख. <u>मांग में बाजार हिस्सा</u>

107. वार्षिक बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाए गए अनुसार है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देश	%-	100	119	112	106

	सूचीबद्ध				
कोरिया	%	***	***	***	***
सिंगापुर	%	***	***	***	***
यूएसए	%	***	***	***	***
अन्य देश	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग	%-सूचीबद्ध	-	100	3,826	6,266

108. बाजार हिस्से का तिमाही संचलन निम्नानुसार है:

	संबद्ध देश	**कोरिया**	**सिंगापुर**	**यूएसए**	**अन्य देश**	**घरेलू उद्योग**
21-22 तिमाही 2	***	***	***	***	***	***
21-22 तिमाही 3	***	***	***	***	***	***
21-22 तिमाही 4	***	***	***	***	***	***
22-23 तिमाही 1	***	***	***	***	***	***

109. यह देखा गया है कि:

क. घरेलू बाजार के बाजार हिस्से में चौथी तिमाही, 21-22 तक वृद्धि हुई और उसके बाद उसमें गिरावट आई।

ख. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में चौथी तिमाही, 21-22 तक गिरावट आई और एक बार फिर पहली तिमाही, 22-23 में इसमें वृद्धि हुई।

ग. गैर संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की पूरी अवधि के दौरान तीव्र गति और बहुत अधिक हद तक गिरावट आई।

ग. <u>लाभप्रदता, नकद लाभ, और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल</u>

110. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर प्रतिफल का विश्लेषण किया गया है और उसे नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शाए गए अनुसार पाया गया है। इसके अलावा, चूंकि घरेलू उद्योग ने नई उत्पादन सुविधा में उत्पादन आरंभ किया है, प्राधिकारी ने नए उत्पादन प्रचालनों की कम क्षमता का उपयोग के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से इस अवधि के दौरान एक बार वास्तविक उत्पादन और बिक्री के आधार पर और एक बार उत्पादन की सामान्यीकृत लागत पर विचार करते हुए लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी इस संबंध में यह मानते हैं कि उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार करते हुए कीमत मापदंड इस तथ्य पर विचार करते हुए प्रतिकूल स्थिति को दर्शा सकते हैं कि घरेलू उद्योग ने नई उत्पादन लाइन पर व्यापारिक उत्पादन शुरु किया है और कम क्षमता उपयोग प्राप्त किया है। इस कारण से, प्राधिकारी ने अतिरिक्त रूप से *** प्रतिशत पर विचार कर कीमत मापदंडों का आकलन किया है।

उत्पादन की वास्तविक लागत के आधार पर

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर पूर्व लाभ	लाख रु.-सूचीबद्ध	एनए	-100	-154	-193
नकद लाभ	लाख रु.-सूचीबद्ध	एनए	-100	-136	-173
आरओआई	%-सूचीबद्ध	एनए	-100	-170	-225

उत्पादन की सामान्यीकृत लागत के आधार पर :

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्री की सामान्यीकृत लागत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक			100	139	148
बिक्री कीमत	रु./एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक			100	143	151

सामान्यीकृत लागतों पर प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	रु./एमटी	एनए	***	***	***
सूचकांक			(100)	(22)	(33)
लाभ/(हानि)- कुल	लाख रु.	एनए	***	***	***
सूचकांक			(100)	(963)	(2,113)
ब्याज पूर्व लाभ	लाख रु.	एनए	***	***	***
सूचकांक			(100)	(1,542)	(3,767)
नकद लाभ	लाख रु.	एनए	***	***	***
सूचकांक			100	5,324	9,885
लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल-एनएफए	%	एनए	***	***	***
प्रवृत्ति			(0-10)	(0-10)	(0-10)

111. यह देखा गया है कि:

क. घरेलू उद्योग ने बिक्री की वास्तविक और सामान्यीकृत लागत से कम कीमत पर इस उत्पाद की बिक्री करना शुरु किया। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग को बहुत अधिक वित्तीय हानि हुई। जब घरेलू बिक्री में भी क्षति की इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई तब घरेलू उद्योग को हुई हानि में भी इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई।

ख. जब बिक्री कीमत में क्षति की इस अवधि के दौरान वृद्धि भी हुई, तब वह अभी भी सभी लागतों की वसूली करने के लिए पर्याप्त नहीं था। घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान और सामान्यीकृत लागत पर भी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है।

ग. घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान नकद हानि हुई जिसकी सीमा क्षति की अवधि के दौरान बढ़ गई।

घ. घरेलू बिक्री में अर्जित निवेश पर प्रतिफल क्षति की पूरी अवधि के दौरान नकारात्मक रही है। इसके अलावा, बिक्री कीमत उत्पादन की सामान्यीकृत लागत के स्तरों पर भी लगाई गई पूंजी पर सकारात्मक प्रतिफल अर्जित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

घ. <u>मालसूची</u>

112. क्षति की अवधि और जांच की अवशि के दौरान घरेलू उद्योग के मालसूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	एनए	एनए	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	एनए	***	***	***
मालसूची	एमटी-सूचीबद्ध	एनए	100	166	219

113. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। मालसूची के स्तर के बावजूद उत्पादन में कटौती हुई है और घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात किया गया और देश में इस उत्पाद की बहुत अधिक मांग रही है। घरेलू उद्योग के पास भारतीय बाजार में बहुत कम हिस्सा था और इस कारण से इसके पास अपने भंडार को बेचने के लिए बहुत अधिक अवसर था।

ड. <u>रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता</u>

114. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	-	***	***	***
सूचकांक			100	115	118
वेतन एवं मजदूरी*	लाख रु.	-	***	***	***
सूचकांक			100	167	186
उत्पादकता प्रतिदिन	एमटी/दिन	-	***	***	***
सूचकांक			100	1743	2321

*वास्तविक लागत के अनुसार आंकड़े

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में क्षति की इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

च. <u>पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता</u>

116. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद में नया निवेश किया है। हालांकि घरेलू उद्योग देश में बहुत अधिक क्षमताओं के बावजूद विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन और क्षमता उपयोग के ईष्टतम स्तर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है। घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि और नकद लाभ में हानि उठानी पड़ रही है। निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा है।

छ. <u>वृद्धि</u>

वृद्धि वास्तविक	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	एमटी	एनए	-	33%	-
उत्पादन	एमटी	एनए	-	1,643%	33%
बिक्री	एमटी	एनए	-	4,247%	46%
औसत मालसूची	एमटी	एनए	-	66%	32%
बाजार हिस्सा	एमटी	एनए	-	14%	9%
लाभ(हानि)	लाख रु.	एनए	-	-54%	-26%
नकद लाभ	लाख रु.	एनए	-	-36%	-27%
आरओआई	%	एनए	-	-69%	-33%

117. जबकि उत्पादन, बिक्री और उपयोगिता में वृद्धि नए उद्योग के लिए सामान्य है, अनुमानित प्रदर्शन से तुलना किए जाने पर वास्तविक प्रदर्शन यह दर्शाता है कि इन मात्रा मापदंडों के संदर्भ में वृद्धि प्रचालन के अनुमानित स्तर से बहुत कम है। कीमत मापदंडों में वृद्धि भी बहुत अधिक हद तक ऋणात्मक और प्रतिकूल है।

छ.3.8 अनुमानित प्रदर्शन से वास्तविक प्रदर्शन की तुलना

118. चूंकि घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2020 में ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया और जांच की अवधि के पिछले तीन वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, प्राधिकारी यह मानते हैं कि निवेश करते समय अनुमानित प्रदर्शन से घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक प्रदर्शन की

तुलना करना आवश्यक है। नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग के अनुमानित प्रदर्शन से वास्तविक प्रदर्शन की तुलना को दर्शाता है।

मापदंड	अनुमानित/वास्तविक	यूनिट	2020-21	2021-22	पीओआई
वास्तविक क्षमता	अनुमानित	एमटी	***	***	***
	वास्तविक	एमटी	***	***	***
वास्तविक क्षमता	अनुमानित	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*
	वास्तविक	*सूचीबद्ध*	*100*	*133*	*133*
उत्पादन	अनुमानित	एमटी	***	***	***
	वास्तविक	एमटी	***	***	***
उत्पादन	अनुमानित	*सूचीबद्ध*	*100*	*133*	*142*
	वास्तविक	*सूचीबद्ध*	*100*	*1,743*	*2,321*
क्षमता उपयोग	अनुमानित	%	***	***	***
	वास्तविक	%	***	***	***
क्षमता उपयोग	अनुमानित	*सूचीबद्ध*	*100*	*133*	*142*
	वास्तविक	*सूचीबद्ध*	*100*	*1,307*	*1,740*
घरेलू बिक्री	अनुमानित	एमटी	***	***	***
	वास्तविक	एमटी	***	***	***
घरेलू बिक्री	अनुमानित	*सूचीबद्ध*	*100*	*133*	*142*
	वास्तविक	*सूचीबद्ध*	*100*	*4,347*	*6,361*
निर्यात बिक्री	अनुमानित	एमटी	***	***	***
	वास्तविक	एमटी	-	***	***
निर्यात बिक्री	अनुमानित	*सूचीबद्ध*	*100*	*133*	*142*
	वास्तविक	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*128*
बिक्री की लागत	अनुमानित	रु./एमटी	***	***	***
	वास्तविक	रु./एमटी	***	***	***
बिक्री की लागत	अनुमानित	*सूचीबद्ध*	*100*	*97*	*97*
	वास्तविक	*सूचीबद्ध*	*100*	*139*	*148*
आवेदक की बिक्री कीमत	अनुमानित	रु./एमटी	***	***	***

मापदंड	**अनुमानित/वास्तविक**	**यूनिट**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
	वास्तविक	रु./एमटी	***	***	***
आवेदक की बिक्री कीमत	अनुमानित	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*
	वास्तविक	*सूचीबद्ध*	*100*	*143*	*151*
लाभ/हानि(पीबीटी)	अनुमानित	रु./एमटी	***	***	***
	वास्तविक	रु./एमटी	***	***	***
लाभ/हानि(पीबीटी)	अनुमानित	*सूचीबद्ध*	*100*	*139*	*145*
	वास्तविक	*सूचीबद्ध*	*-100*	*-22*	*-33*
आरओआई	**अनुमानित**	**%**	***	***	***
	वास्तविक	%	***	***	***
आरओआई	अनुमानित	*सूचीबद्ध*	*100*	*188*	*217*
	वास्तविक	सूचीबद्ध	*-100*	*-1,701*	*-4,394*

119. यह देखा गया है कि विभिन्न वृहत आर्थिक मापदंडों जैसे उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित स्तरों से काफी कम है। इसके अलावा, अनुमानित प्रदर्शन और प्राप्त किया गया वास्तविक कार्य-निष्पादन के बीच अंतर बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग ने कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों का ब्यौरा उपलब्ध कराया। कंपनी ने दावा किया है कि इसने अनेक देशों जैसे यूरोपीय यूनियन, ब्राजील, कोलम्बिया, मेक्सिको, तुर्की, मलेशिया आदि को निर्यात किया है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि ये निर्यात घरेलू बाजार में प्राप्त की गई कीमत से उच्चतर कीमत पर किए गए हैं।

120. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि परियोजना रिपोर्ट केवल पीटीबीपी के लिए नहीं है और इसे 2016 में तैयार किया गया था। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संदर्भित परियोजना रिपोर्ट 2016 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा उपयोग की गई पूर्व व्यावहार्यता रिपोर्ट है। परियोजना रिपोर्ट में कुल मिलाकर बुटाईल फिनोल संयंत्र के लिए अनुमानित निवेश है। हालांकि, यह उस स्थिति पर विचार करते हुए उपयुक्त और स्वाभाविक है जहां कंपनी ने चार उत्पादों में निवेश करने का निर्णय लिया है (जिसमें से किसी का भी देश में पहले उत्पादन नहीं किया गया था)

और जो संयंत्र और उपकरण में समानताओं के उच्च मात्रा को शामिल करते हुए उत्पादों के एक ही परिवार (अर्थात बुटाईल फिनोल) में आता है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए जा रहे सभी चार प्रकारों के बुटाईल फिनोल के लिए संस्थापित क्षमता के आधार पर समानुपाती आधार पर विचाराधीन उत्पाद में निवेश पर विचार किया है। यह भी देखा गया है कि परियोजना रिपोर्ट बाजार की उस स्थिति का उल्लेख करता है तथा सभी चार प्रकारों के फिनोल के लिए अनुमानित प्रदर्शन का पृथक रूप से उल्लेख करता है। इसके अलावा, परियोजना रिपोर्ट में विचारित इनपुट कीमतें उस समय की प्रचलित कीमतों के आधार पर हैं। हालांकि क्षति की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा वहन की गई वास्तविक इनपुट कीमतों के लिए उपयुक्त रूप से समायोजन किया गया है।

121. यह भी तर्क दिया गया है कि कोविड-19 महामारी जैसे अप्रत्याशित घटनाक्रम, कच्चे माल की कीमतों में असाधारण वृद्धि और यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनैतिक कारकों का भी परियोजना रिपोर्ट में समुचित रूप से समायोजन किया जाना चाहिए। हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि किस प्रकार से इन कारकों ने विशिष्ट रूप से वर्तमान घरेलू उद्योग पर प्रभाव डाला है और भारत में तथा वैश्विक स्तर पर विदेशी उत्पादकों एवं अन्य वस्तुओं के उत्पादकों, दोनों को प्रभावित नहीं किया है। कोविड- 19 महामारी, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनैतिक कारकों जैसे कारकों को बल्कि कम कीमत पर आयातों से घरेलू उद्योग को अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करना चाहिए था। इसके अलावा, यह देखा गया है कि सहयोगी निर्यातकों के मामले में पाटन मार्जिन ***प्रतिशत तक अधिक है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जबकि विदेशी उत्पादकों ने अपने घरेलू बाजारों को संरक्षण प्रदान किया और अपने घरेलू बाजार में लाभप्रद तथा बहुत अधिक कीमतें वसूलना जारी रखा, उन्होंने भारतीय बाजार में आक्रामक पाटन किया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कोविड-19 महामारी पर विचार नहीं करना घरेलू उद्योग की परियोजना अथवा प्रचालनों की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं किया है। घरेलू उद्योग के पास एक इनपुट है जिसकी आपूर्ति कैप्टिव रूप से की जाती है जबकि अन्य प्रमुख इनपुट (फिनोल) न केवल देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है बल्कि उसका बहुत अधिक मात्रा में आयात भी हुआ है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धी कीमत निर्धारण सुनिश्चित हुआ। इसके अलावा, कोविड-19 तथा यूक्रेन रूस युद्ध के कारण कच्चे माल और यूटिलिटी की कीमत में वृद्धि वैश्विक घटना हुई होती और न कि केवल घरेलू उद्योग पर ही इसका

प्रभाव पड़ा होता। यह नहीं दर्शाया गया है कि ऐसे कारक, यदि कोई हो, ने केवल याचिकाकर्ता को प्रभावित किया था।

ज. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

122. इस नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचलन अथवा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और निर्यात कार्य-निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस तथ्य की भी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का इस क्षति में कोई योगदान हो सकता है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न हो सकती है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

123. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध स्रोतों से बहुत अधिक आयात हुए थे। हालांकि, संबद्ध देशों से पाटन के साथ, संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य स्रोतों से आयातों में पूर्ण रूप में और भारत में खपत की तुलना में बहुत अधिक गिरावट आई। इसके अलावा, ये जांच की अवधि में न्यूनतम स्तर पर थे।

क्र.सं.	विवरण	पीओआई
क	आयात की मात्रा	
1	संबद्ध देश	9,420
2	गैर संबद्ध देश	304
ख	आयात की औसत कीमत	
3	संबद्ध देश	1,28,423
4	गैर संबद्ध देश	1,44,836

ख. मांग में संकुचन

124. संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि के दौरान जांच की अवधि में कुछ गिरावट के साथ वृद्धि हुई। यह देखा गया है कि मांग में 2021-22 में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। हालांकि, मांग ने आधार वर्ष के संबंध ने क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि दर्शाई है। इसके अलावा, संबद्ध आयात याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन शुरु किए जाने के बावजूद जांच की अवधि में मांग के अधिकांश हिस्से (***प्रतिशत) पूरा कर रहा था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास जांच की अवधि में ***एमटी की स्थापित मांग तुलना में ***एमटी की क्षमता है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

125. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

126. संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं हैं और इनका देश में स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है।

ड. प्रौद्योगिकी का विकास

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. निर्यात कार्य-निष्पादन

128. दी गई सूचना पर केवल घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों के लिए विचार किया गया है।

झ. <u>क्षति मार्जिन का आकार</u>

129. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित इस नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को लेकर किया गया है। एनआईपी की तुलना क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत से की गई है।

एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल और यूटिलिटी के सर्वश्रेष्ठ तिमाही उपयोग और उत्पादन क्षमता का सर्वश्रेष्ठ तिमाही उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय तथा/अथवा परिसंपत्तियों को उत्पादन की लागत और/अथवा एनआईपी से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व 22% की दर से) (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति योग औसत कार्यशील पूंजी) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध-III में यथा-निर्धारित एनआईपी तय करने के लिए ब्याज, कारपोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए दी गई है।

130. पहुंच कीमत और ऊपर में निर्धारित किए एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है/

	उत्पादक/देश	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जित		
		(भारतीय रुपए/ एमटी)	(भारतीय रुपए/ एमटी)	(भारतीय रुपए/ एमटी)	%	(रेंज%)
1	**सिंगापुर**	***	***	***	***	10-20
2	**कोरिया**					
	एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
	अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30
3	**यूएसए**					
	एसआई ग्रुप इंक	***	***	***	***	50-60
	अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	70-90

झ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

131. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. निर्यात कीमत की विश्वसनीयता के संबंध में प्रस्तावित निर्धारण निम्नलिखित कारणों से उपयुक्त नहीं है:

क. प्राधिकारी की टिप्पणियां और व्याख्या की केवल प्राधिकारी इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं कि क्या एनईपी अविश्वनीय नहीं है और निर्यातक उसके बारे में दावा नहीं कर सकते हैं: अविश्वसनीयता के पहलू की जांच प्राधिकारी द्वारा केवल उन मामलों में की जाएगी जहां निर्यातक यह दावा करते हैं कि उच्चतर निर्यात कीमत सही नहीं है। भारतीय विधायिका ने इसे उपयुक्त माना कि यह दावा करने से किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार के अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जाए कि उनकी निर्यात कीमतें विश्वसनीय नहीं हैं, इसके बजाए इसे पूर्ण रूप से प्राधिकारी का विशेष अधिकार बनाया जाए।

ख. प्राधिकारी की कार्य-पद्धति उत्पादक/निर्यातक तथा आयातक के बीच कीमतों पर विश्वास नहीं करने की है जब वे संबद्ध कंपनियां हों, यदि उसे विदेशी उत्पादक/निर्यातक द्वारा अन्यथा प्रमाणित न किया गया हो।

ग. कानून में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कीमतें तभी अविश्वसनीय होंगी जब पाटित मार्जिन नकारात्मक हो।

घ. मौखिक सुनवाई के बाद ही प्रस्तुत की जा रही निर्यात कीमत की अविश्वसनीयता का दावा सही नहीं है। प्रतिवादियों ने दिनांक 25 अप्रैल, 2023 के अपने अनुरोधों में यह अनुरोध किया कि संबंधित आयातक की कीमतें विश्वसनीय नहीं हैं और उन पर निर्यात कीमत गणना के उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए।

ड. प्रणालियों में तकनीकी बाधाओं के कारण अंतरण कीमत निर्धारण में त्रुटि का पता लगाया गया था और उसके तत्काल बाद विशेष मूल्यांकन शाखा ("एसवीबी") को दिनांक 26 सितंबर 2023 के पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दी गई थी। एसवीबी अपनी अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे पोर्ट सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ साझा करेगा। तदनंतर, पोर्ट सीमा शुल्क अधिकारी प्रविष्टि के बिलों का अंतिम आकलन करेंगे और अपनी समझ के अनुसार ब्याज के साथ अतिरिक्त शुल्कों की मांग भेजेंगे। इस

प्रक्रिया में सामान्य तौर पर छह से आठ महीने का समय लगता है। एसआई समूह ने अंतरण कीमत निर्धारण को सही करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। यह सीमा शुल्क प्राधिकारी है जो इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

च. यदि प्राधिकारी असंबद्ध ग्राहक को कीमत निर्धारण के आधार पर संबद्ध ग्राहक के लिए निर्यात कीमत तय भी करता है तब पाटन मार्जिन सकारात्मक है। इस कारण से, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों का पाटन नहीं दर्शाने का दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न जो उठता है वह यह है कि क्या क्षति मार्जिन निर्यात कीमत की संरचना को अपनाने के बाद पाटन मार्जिन से अधिक अथवा पाटन मार्जिन से कमतर है।

छ. कोई भी समझदार निर्यातक पाटनरोधी शुल्क के अपाटन से बचने के लिए इस प्रकार की कार्य-पद्धतियों में लिप्त नहीं होगा। इन पर भारी जुर्माना लग सकता है और ब्याज की मांग सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ऐसी कार्य-पद्धतियों के लिए की जाती है।

ज. उस समय तक जब तक प्राधिकारी इस जांच की शुरुआत करते हैं, कोई भी निर्यातक ने पहले ही भारत में संबंधित और असंबंधित ग्राहक, दोनों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है जो जांच की अवधि से संबंधित है। इस कारण से, प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि निर्यातक सामान्य तौर पर धारा 9क(1) की व्याख्या (ख) का दुरुपयोग करना शुरु करेंगे, व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

झ. विचाराधीन उत्पाद के लिए अंतरण कीमत निर्धारण में यह त्रुटि केवल जांच की अवधि में ही नहीं हुई थी बल्कि इसकी शुरुआत 3 वर्ष पूर्व ही हो गई थी और इसने एसआई कोरिया और एसआई यूएसए द्वारा निर्यात किए गए 3 अन्य उत्पादों को भी प्रभावित किया।

ञ. एसआई ग्रुप ने अपने लेखांकन खातों में ब्याज के साथ इन शुल्कों के भुगतान के लिए सावधान भी किया है। एसआई ग्रुप भारत बीओई के आकलन को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग का भुगतान करेगा।

ii. प्राधिकारी को असंबद्ध ग्राहकों को कीमत के आधार पर संबद्ध पक्षकार के बीच व्यापार के लिए निर्यात अवश्य तय करनी चाहिए।

iii. पीटीबीपी के लिए एसआई ग्रुप की अंतरण कीमत निर्धारण नीति भी तुलनीय अनियंत्रित कीमत निर्धारण पद्धति के आधार पर है जो असंबद्ध ग्राहक को कीमत के अलावा कुछ नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं होती तब अंतरण कीमत असंबद्ध ग्राहक को कीमत के रूप में संबद्ध ग्राहक को वही कीमत हुई होती।

iv. निर्यात कीमत के साथ पहुंच कीमत को भी वर्तमान स्थिति में अवश्य तय किया जाना चाहिए। प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति इस तथ्य के बावजूद कि कानून और नियमावली में पहुंच मूल्य को समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, न केवल निर्यात कीमत में बल्कि पहुंच कीमत में भी संबंधित निर्यातक द्वारा पुन: बिक्री पर हानि का समायोजन करने की रही है।

v. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उस सीमा तक सुधार आया है, जिस सीमा तक उसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जांच की अवधि के बाद की अवधि में हुई है, उनका बाजार हिस्सा 79 प्रतिशत (एसआई ग्रुप के भीतर आंतरिक अंतरण को छोड़कर) और 48 प्रतिशत (एस आई ग्रुप में आंतरिक अंतरण को शामिल कर) तक पहुंच गया है।

vi प्राधिकारी को वास्तविक धीमापन के संबंध में अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए जांच की अवधि की बाद की अवधि विशेषकर जुलाई 2022 से जून 2023 तक की अवधि के लिए आंकड़ों की जांच करनी चाहिए।

vii. 4 बुटाइल फिनोल के लिए उत्पादन लाइनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। यह सिद्ध करता है कि यदि अन्य 3 बुटाइल फिनोल की मांग में वृद्धि होती है और यह इन बुटाइल फिनोल की बिक्री करने के लिए विनाती के लिए अधिक लाभप्रद है तब वे भारत में पीटीबीपी की मांग की पूर्ति करने के बजाए अपने उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है। यह इस बात को भी सिद्ध करता है कि प्रतिवादी का यह तर्क कि वीएपीएल के साथ विनाती का आमेलन के साथ, विनाती बुटाइल फिनोल की अपनी क्षमता को उस स्थिति में आगे डाउनस्ट्रीम उत्पादों का निर्माण करने के लिए अपनी कैप्टिव खपत को पूरा

करने के लिए परिवर्तित करेगा जब यह भविष्य में उनके लिए अधिक लाभप्रद हो और इसके फलस्वरूप मांग-आपूर्ति में अंतर होगा।

viii. प्राधिकारी ने प्रतिवादियों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच नहीं की है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनाती की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, यह पीटीबीपी का निर्माण करता रहा है।

ix. प्राधिकारी ने परियोजना रिपोर्ट की सत्यता जो वर्तमान जांच में महत्वपूर्ण है, के संबंध में कोई जांच उपलब्ध नहीं कराई है क्योंकि विनाती सामान्य से अधिक बिक्री कीमत प्राप्ति के अनुमान पर परियोजना रिपोर्ट में उच्च लाभप्रदता दशाई होगी। परियोजना रिपोर्ट को आमतौर पर उच्चतर मूल्य और कंपनी में निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार किया जाता है।

x. प्राधिकारी ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि क्या अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कोविड-19 महामारी, कच्चे माल की कीमतों में असाधारण वृद्धि, यूक्रेन युद्ध परिदृश्य आदि को ध्यान में रखने के लिए अनुमानित अनुमान के लिए कोई समायोजन किए गए थे।

xi. प्राधिकारी द्वारा परियोजना रिपोर्ट में विचाराधीन उत्पाद की अनुमानित बिक्री की मात्राओं के कारण प्राधिकारी द्वारा कोई समायोजन नहीं किया गया है।

xii. विनाती ने स्वयं यह दावा किया कि पाटनरोधी शुल्क, यदि यह अंतिम प्रयोक्ताओं पर 0-5 प्रतिशत तक लगाया गया हो, के प्रभाव के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकार से प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रभाव 1 प्रतिशत के कम होगा।

xiii. संबद्ध वस्तुओं का उपयोग विभिन्न अंतिम उपयोगों में किया जाता है और सभी उपयोग के लिए अलग अलग विनिर्देश अपेक्षित होते हैं और इस कारण से कीमत भी बहुत अधिक हद तक अलग अलग होती है।

xiv. संबद्ध कंपनियों और असंबद्ध कंपनियों को निर्यात किया गया पीटीबीपी अलग अलग विनिर्देश के हैं और इस कारण से कीमतें अलग अलग हैं।

xv. उत्पादन और बिक्री करने में असमर्थता का सीधे तौर पर संबंध घरेलू उद्योग द्वारा सामाना की जा रही प्रौद्योगिकीय बाधाओं से है और इस कारण से कम उत्पादन और बिक्री के लिए इन आयातों को जिम्मेदार बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य प्रस्ताव है।

xvi. जब तक अनुरोध की गई सूचना/विश्लेषण नहीं किया जाता है और प्रकटन विवरण का नया अगोपनीय रूपांतर जारी नहीं किया जाता है, प्रकटन विवरण का संपूर्ण विश्लेषण और उसे जारी किए जाने का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा।

ञ.1. घरेलू उद्योग के विचार

132. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) प्राधिकारी को संबंधित पक्षकार को निर्यात बिक्री की कीमत अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। निर्यातक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि इस प्रकार ये कीमतें विश्वसनीय नहीं हैं और एक उपयुक्त वैकल्पिक पद्धति का भी सुझाव नहीं दिया है। इसके बदले में, प्राधिकारी ने उन निर्यात लेन-देन की उपेक्षा करते हुए तर्क दिया है।

ii) इस नियमावली के अन्तर्गत निर्यात कीमत का निर्धारण इस निर्यातक द्वारा किए गए संचयी निर्यातों के लिए अवश्य किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य से किसी भी मात्रा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वर्तमान मामले में संबद्ध पक्षकार को बिक्री की मात्रा की उपेक्षा करने का आशय कंपनी की नगण्य निर्यात मात्राओं को अपनाना मान जाएगा जो अपने आप में भारत में कुल आयातों के मामले में न्यूनतम हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह और भी महत्वपूर्ण है कि जहां संबंधित कंपनी भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र निर्यातक है।

iii) निर्धारित एनआईपी बहुत कम है। निर्धारित खर्च के आबंटन और निवल निर्धारित परिसंपत्तियों के लिए विचार किए गए आबंटन का आधार के बारे में नहीं बताया गया है। यह विदित होता है कि खर्च कारोबार पर वास्तविक बिक्री मात्रा और बिक्री मूल्य के आधार पर विचार किया गया है और घरेलू उद्योग द्वारा सूचित व्यय की उपेक्षा की गई है।

iv) सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान यह बताया गया था कि डीजीटीआर को या तो वास्तविक उत्पादन और बिक्री से सभी आंकड़ों पर विचार करना चाहिए अथवा

डीजीटीआर को परियोजना रिपोर्ट से बिक्री की मात्रा और बिक्री मूल्य (कच्चे माल की कीमतों के कारण आवश्यक परिवर्तनों के लिए उचित समायोजन के बाद) पर विचार करना चाहिए।

v) आयातों के कारण घरेलू उद्योग को स्थापित करने की गति धीमी हुई है।

vi) शुल्क लगाना जनहित में हैं और इन शुल्कों का उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। परप्यूमरी और रेसिन दोनों उद्योगों के अंतिम ग्राहकों को अधिकांशत: समाज के उच्च वर्गों द्वारा खपत किया जाता है। यदि उपभोक्ताओं के न्यूनतम प्रभाव पर भी विचार किया जाना है तब यह भारतीय उद्योग के केवल एक लघु वर्ग को प्रभावित करता है जिसका अपेक्षाकृत बहुत अधिक खर्च है।

vii) यह एक ज्ञात तथ्य है कि एसआई ग्रुप कैप्टिव उपयोग के लिए संबद्ध वस्तुओं का आयात करता है और इस प्रकार एसआई ग्रुप द्वारा कम कीमत वाले आयात उन्हें अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादकों की तुलना में डाउनस्ट्रीम उद्योग में अत्यधिक और अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धी बना रहा था।

viii) घरेलू उद्योग को अभी अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग ईष्टतम स्तरों तक करना बाकी है। संबद्ध देशों पर शुल्कों को लगाए जाने के साथ, घरेलू उद्योग अपनी ईष्टतम क्षमता स्तर को प्राप्त करने और भारतीय बाजार को आपूर्ति कर बेहतर बनाने में सक्षम होगा। आयातक विचाराधीन उत्पाद पर शुल्कों को लगाए जाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं की ओर जाने में सक्षम है। ऐसे अन्य देश हैं जो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और भारत, अर्थात् ताइवान, चीन और रूस को भी निर्यात कर रहे हैं।

ix) विचाराधीन उत्पाद की खपत परफ्यूम और रेसिन दोनों खंडों में होता है जहां डाउनस्ट्रीम उत्पादक एसआई ग्रुप इंडिया से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। एसआई ग्रुप इंडिया इस उत्पाद को अत्यधिक पाटित कीमतों पर प्राप्त कर रहा है। एसआई ग्रुप इंडिया सुगंध और रेसिन दोनों उत्पादों का उत्पादन कर रहा है और उनकी बिक्री बाजार में कर रहा है जिसके कारण उन उत्पादकों, जो या तो घरेलू उद्योग से अथवा अन्य देशों से या एसआई ग्रुप से उच्चतर कीमत पर पीटीबीपी की आपूर्ति कर रहा है।

x) पाटनरोधी शुल्क लगाने से अनुचित लाभ जो एसआई ग्रुप इंडिया को उपलब्ध था, समाप्त हो जाएगा और न केवल पीटीबीपी बाजार में बल्कि डाउनस्ट्रीम बाजार में निष्पक्ष बाजार स्थितियां उत्पन्न होंगी।

xi) आपूर्ति का घरेलू स्रोत होना भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की ओर एक कदम है। उपभोक्ताओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके पास आपूर्ति की मजबूत और विश्वसनीय स्रोत बनाए रखने के लिए एक स्थाई घरेलू आपूर्ति उपलब्ध हो।

xii) परफ्यूमरी खंड का एक बड़ा भाग डाउनस्ट्रीम उत्पाद तथा सुगंध/इत्र का निर्यात कर रहा है और ये उत्पादक अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रहे हैं।

xiii) घरेलू उद्योग के लिए कोई एकाधिकार वाली स्थिति नहीं है। घरेलू उद्योग अनेक उत्पादों का उत्पादन और बिक्री कर रहा है जहां वे एकमात्र उत्पादक हैं और पाटनरोधी शुल्क इस देश में ऐसे अनेक उत्पादों के आयातों पर लागू था। शुल्क नहीं लगाना इस देश को आयात पर ही निर्भर बनाएगा जो इन उपभोक्ताओं के हित को नुकसान पहुंचाता है। गैर-संबद्ध देशों, जो बाजार में बहुत अधिक मात्राओं में आपूर्ति कर रहे थे, से भी आयात हो रहे हैं। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों से आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है और केवल आयातों को विनियमित करता है।

xiv) शुल्क पांच वर्षों के लिए यूएस डॉलर में लगाया जाना चाहिए। रुपये का बहुत अधिक हद तक अवमूल्यन हुआ है जिसने कच्चे मालों, यूटिलिटीज की लागता और अन्य लागतों को प्रभावित किया है।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

133. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि अधिकांश टिप्पणियां दोहराई गई हैं जिनकी अंतिम जांच परिणाम के संगत पृष्ठों में पहले ही उपयुक्त ढंग से जांच और पर्याप्त रूप से समाधान किया गया

है। प्रकटन विवरण में उठाए गए ऐसे मुद्दों जिनकी पहले ही जांच गई है, की अब जांच नहीं की गई है।

134. इस तर्क संबंध में कि प्राधिकारी की प्रक्रिया उत्पादक/निर्यातक तथा आयातक के बीच कीमतों पर तब भरोसा करने की नहीं है जब वे संबंधित कंपनियां हों, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क इस दावे की तरह है कि प्राधिकारी अनिवार्य रूप से तब निर्यात कीमत का परिकलन करेंगे जब निर्यातक और आयातक संबंधित हों। तथापि, धारा 9क(ख) की ऐसी किसी व्याख्या का कोई आधार नहीं है।

135. इस तर्क के संबंध में कि निर्यातक ने दिनांक 25 अप्रैल, 2023 के अपने अनुरोध में बताया था कि संबंधित आयातक की कीमतें विश्वसनीय नहीं हैं और निर्यात कीमत की गणना के लिए उन पर विचार नहीं करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि निर्यातक ने 25 अप्रैल, 2023 को भी अनुरोध किए हैं तो भी 26 सितंबर, 2023 तक त्रुटि को सही करने के लिए निर्यातक और आयातक द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

136. इस तर्क के संबंध में कि विशेष मूल्यांकन शाखा (''एसवीबी'') को 26 सितंबर, 2023 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पहले कथित त्रुटि और उसके बाद डीजीटीआर को उसकी सूचना देने तथा दूसरे प्रश्नावली का उत्तर तैयार करने तथा डीजीटीआर को उसे प्रस्तुत करने और एसवीबी को उसकी सूचना देने में काफी समय बीत गया है। निर्यातक ने संगत एसवीबी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं और प्राधिकारी उस कीमत के बारे में आयातक के दावे से अनभिज्ञ हैं जिस पर आयात का आकलन किया जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में अनेक कीमतें थी और इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि केवल असंबंधित उपभोक्ताओं को निर्यात कीमत एसवीबी द्वारा उचित कीमत मानी जा सकती है। प्राधिकारी उस कीमत के बारे में अब भी अनभिज्ञ हैं जिस पर सीमा शुल्क प्राधिकारी ने अंतिम रूप से निर्णय लिया यद्यपि भविष्य में निर्यात कीमत में संभावित सुधार पाटन की मात्रा को आंशिक रूप से देख सकता है, परंतु जहां तक घरेलू उद्योग को क्षति और क्षति मार्जिन के प्रश्न का संबंध है इन्हीं निर्यात कीमतों के आधार पर पीयूसी के भारतीय उद्योग और डाउनस्ट्रीम उद्योग को निर्यातकों द्वारा निर्यात के कारण नुकसान हुआ है। अत: किसी भी तरह यह सिद्ध नहीं होता है कि प्राधिकारी को

यह स्वीकार करने पर भी क्षति मार्जिन के लिए इन कीमतों पर क्यों विचार करना चाहिए कि उन पर पाटन मार्जिन के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने स्वीकार किया है कि यदि पाटन मार्जिन को संबंधित उपभोक्ताओं की निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाए तब भी वह काफी अधिक है। जहां तक क्षति मार्जिन का संबंध है किसी भी तरह ऐसी क्षति उस कीमत पर हुई है जिस पर वस्तुओं को भारतीय आयातक के लिए दर्ज किया गया है। घरेलू उद्योग को यह मानते हुए अपने उपभोक्ताओं से बेहतर कीमत की उम्मीद नहीं है कि आयातकों को निर्यातकों द्वारा सूचित कीमत संबंधित होने के कारण अविश्वसनीय थी और उसमें पर्याप्त समय बीतने के बाद सुधार हो सकता है।

138. यह वक्तव्य कि अंतरण कीमत में त्रुटि न केवल पीओआई में हुई, बल्कि तीन वर्ष पहले शुरू हुई थी और उसने एसआई कोरिया और एसआई यूएसए द्वारा निर्यातित तीन अन्य उत्पादों को भी प्रभावित किया है, दर्शाता है कि संबंधित उत्पाद के भारतीय उत्पादक और उपभोक्ता तथा डाउनस्ट्रीम उत्पादों को उस कीमत के आधार पर नुकसान हुआ है जिस पर इन वस्तुओं को संगत अवधि के दौरान आयात किया गया है।

139. इस दलील के संबंध में कि एसआई ग्रुप ने अपनी लेखा पुस्तकों में ब्याज के साथ शुल्क के भुगतान के लिए भी प्रावधान किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई सूचना प्राधिकारी के रिकार्ड में नहीं है।

140. इस दलील के संबंध में कि अंतरण कीमत संबंधित उपभोक्ताओं और असंबंधित उपभोक्ताओं के कीमत के समान रही होगी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति उस कीमत पर हुई है जिसे संगत अवधि में बताया गया है। ऐसी क्षति का उपचार आयात सौदों के मूल्यों में देरी से सुधार द्वारा नहीं हो सकता है।

141. इस तर्क के संबंध में कि पीओआई के बाद के आंकड़ों की वास्तविक मंदी निर्धारण के लिए जांच की जानी चाहिए। यह नोट किया जाता है कि स्वयं पीओआई के लिए क्षति संबंधी सूचना पर्याप्त रूप से घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती है।

142. इस तर्क के संबंध में कि 4 ब्यूटाइल फेनोल की क्षमता का अलग-अलग रूप में प्रयोग हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादन क्षमताओं की ऐसी प्रतिस्थापनीयता एक नेमी कार्यकलाप नहीं हो सकता है। इसके अलावा, किसी भी तरह घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षमता अपने आप में अप्रयुक्त है और अधिकांशत: देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। उद्योग मौजूदा मांग को पूरा कर सकता है। इसके अलावा, यह मानते हुए भी कि मांग आपूर्ति में अंतर की संभावित स्थिति हो सकती है। यह नोट किया जाता है कि उपभोक्ताओं के पास अन्य गैर संबद्ध देश से आपूर्ति के स्रोत उपलब्ध हैं और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता चिंता का विषय नहीं होगा। यह भी नोट किया जाता है कि नियमावली के अंतर्गत समीक्षा के प्रावधान हैं जिन्हें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपनाया जा सकता है।

143. इस अनुरोध के संबंध में कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनती की है कि वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि उसने काफी पहले संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू किया है, 2019-20 वार्षिक रिपोर्ट के उद्धरणों से यह नोट किया जाता है कि उसने बताया कि कंपनी ब्यूटाइल फेनोल के उत्पादन के लिए नई प्रक्रिया के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा, 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ब्यूटाइल फेनोल को वित्त वर्ष 2021 में शुरू किया गया था।

144. इस तर्क के संबंध में कि अनुमानित कीमत प्राप्ति उच्चतर मूल्यांकन के लिए हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत प्राप्ति वस्तुओं की लागत, क्षमता के उपयोग आदि के आधार पर अनुमानित की गई थी। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि कंपनी ने निवेशकों या बैंकों जैसे बाहरी स्रोतों पर भरोसा किए बिना आंतरिक रूप से ब्यूटाइल फेनोल के उत्पादों में निवेशों को प्राथमिक रूप से वित्तपोषित किया है।

145. इस तर्क के संबंध में कि बिक्री की मात्रा को समायोजित नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुमानित बिक्रियां उस उपयोग पर आधारित थीं जिसे घरेलू उद्योग द्वारा हासिल किया जा सकता है। अनुमानित बिक्री पीओआई में मांग के स्तर से कम है। इसलिए घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री को समायोजित करने कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा, पीओआई के क्यू 3 से क्यू 4 में मांग में गिरावट पर से भी संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग पर्याप्त क्षमता और उत्पादन के बावजूद अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है।

146. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध वस्तु के विभिन्न विनिर्देशन होते हैं जिससे लागत और कीमत में अंतर हो जाता है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने इसके लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।

.<u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

ञ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

147. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। घरेलू उद्योग पहले से ही अच्छा प्रदर्शन करता रहा है और इसने बहुत बड़ा बाजार प्राप्त कर लिया है। इस कारण से, पाटनरोधी शुल्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ii) विचाराधीन उत्पाद की लागतों में वृद्धि आसानी से अंतिम उपभोक्ताओं पर नहीं डाली जा सकती है। डाउनस्ट्रीम उद्योग कीमत के प्रति संवेदनशील है और लागतों में कोई भी वृद्धि डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन की लागत को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा और संभावित रूप से बाजार की हानि और निर्माण संबंधी असुविधाएं उत्पन्न होंगी।

iii) पाटनरोधी शुल्क लगाने से न केवल प्रयोक्ता उद्योग की लागत में वृद्धि होगी बल्कि अंतिम प्रयोक्ता को यह प्रभावित भी करेगा।

iv) डाउनस्ट्रीम उत्पादों को उन कीमतों पर बेची जाती है जो कम मार्जिन होती है। लागतों में कोई भी वृद्धि के फलस्वरूप बाजार की हानि और डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्माण को जारी रखने की क्षमता की हानि हो सकती है।

v) पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के लिए एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी।

vi) इस शुल्क के प्रभाव की गणना प्रयोक्ता उद्योग द्वारा लगभग 6-8 प्रतिशत की गई थी।

vii) एसआई ग्रुप इंडिया का संयंत्र अपने प्रारंभ से ही भारत में रोजगार को बढ़ावा देता रहा है। इस संयंत्र का निर्माण और स्थापना ने सैकड़ो कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया।

viii) प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे वर्तमान जांच में वास्तविक धीमापन सिद्ध किए जाने की स्थिति में दो वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करें।

ञ.2. घरेलू उद्योग के विचार

148. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) उपभोक्ताओं को यह दर्शाना चाहिए था कि लागत में वृद्धि नहीं डाली गई थी बल्कि उसे अवशोषित कर लिया गया था।

ii) अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत नगण्य है।

iii) पीटीबीसीएचए का व्यापक रूप से निर्यात किया जाता है और इस प्रकार पीटीबीसीएचए के लिए खरीदा गया पीटीबीपी आमतौर पर अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत खरीदा जाता है और इस प्रकार शुल्क लगाए जाने का ऐसी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीटीबीसीएचए के उपभोक्ता बड़ी कंपनियां हैं जो शुल्क में वृद्धि के किसी प्रभाव को आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। उसी प्रकार, पीटीबीपी रेसिन का बहुत बड़ा हिस्सा है और इस प्रकार वे वृद्धि के प्रभाव को डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत पर डाल सकते हैं।

iv) पाटनरोधी शुल्क लगाना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि देश में आयात उचित कीमत पर हो। घरेलू उद्योग के लिए कोई एकाधिकार वाली स्थिति नहीं हो। शुल्क को नहीं लगाने से यह देश आयातों पर ही निर्भर हो जाएगा जो उपभोक्ताओं के हित को नुकसान पहुंचाता है।

v) सुगंध/इत्र की लागत में वृद्धि साबुन, शैंपू और डिटर्जेंट के निर्माताओं पर डाला जाता है जो एफएमसीजी क्षेत्र का हिस्सा हैं और उनकी लागत में इत्र की लागत न्यूनतम होती है। गणना की गई प्रभाव परफ्यूम उद्योग पर 0.05 प्रतिशत और रेसिन उद्योग पर 3.3 प्रतिशत के बीच है।

vi) एसआई ग्रुप ने सरकार से फिनोल, एसिटोन और नोनिल फिनोल से बार बार संरक्षण मांगा है। यह वास्तव में दोहरा मानक है जिसे कंपनी द्वारा एक घरेलू उत्पादक और एक उपभोक्ता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

vii) प्राधिकारी को वर्तमान मामले को एक अपवाद के रूप में नहीं मानना चाहिए और 5 वर्षों के लिए शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए। याचिकाकर्ता बहुत अधिक हानि का सामना कर रहा है और आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है। अपेक्षाकृत कम समय अवधि के लिए लगाया गया शुल्क घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही वास्तविक धीमापन का समाधान करने में प्रभावी नहीं होगा।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

149. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत संबंधी सूचना जारी की। घरेलू उद्योग, प्रयोक्ता/उपभोक्ता और अपस्ट्रीम इनपुट आपूर्तिकर्ताओं सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों को उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनुमति देने हेतु एक प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी। यह नोट किया जाता है कि केवल एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटे, इटर्निस फाइन केमिकल्स लिमिटेड, और पोलिमर्स और पोलीसोल्स ने ईआईक्यू का उत्तर प्रस्तुत किया। इन तीनों को छोड़कर, विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उपभोक्ता ने कोई अनुरोध नहीं किया है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि उपभोक्ता उद्योग एक लघु उद्योग नहीं है और वर्तमान जांच उनकी जानकारी में किया जाना माना गया है।

150. पीटीबीपी का उपयोग परफ्यूमरी और रेसिन उद्योग में किया जाता है। पीटीबीपी की खपत परफ्यूमरी उद्योग में ***प्रतिशत और रेसिन उद्योग में ***प्रतिशत है। नीचे दी गई तालिका डाउनस्ट्रीम उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के उपभोग प्रोफाइल को दर्शाता है।

क्र.स.	विवरण	यूनिट	साबुन और डिटर्जेंट	रेसिन
1	पीटीबीपी की खपत	एमटी/एमटी	***	***
2	पीटीबीपी में कीमत वृद्धि	रु./एमटी	***	***
3	अंतिम उत्पाद की लागत में वृद्धि	रु./एमटी	***	***
4	अंतित उत्पादक की कीमत	रु./एमटी	***	***
5	पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव	%	<1%	<1%

151. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनेक अनुरोध किए हैं जिनकी जांच प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

152. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य भारतीय उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन की स्थिति का निवारण करना है और घरेलू उद्योग के लिए एक निष्पक्ष समान अवसर स्थापित करना है। इस नियमावली में प्रावधान है कि लगाए गए शुल्क की राशि उसी सीमा तक सीमित है जो घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने तथा घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर अनुचित आयातों के प्रभाव को रोकने के लिए है। कमतर शुल्क नियम का उपयोग इस प्रकार सुनिश्चित करता है कि भारतीय उद्योग का निवारण सीमित है।

153. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता का एकाधिकार स्थापित होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने जुलाई, 2020 में व्यापारिक उत्पादन शुरु किया है और इस अवधि के पूर्व, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारतीय मांग की पूर्ति आयातों के द्वारा की जा रही थी। जबकि इस उत्पाद के लिए मांग का लगभग *** प्रतिशत आधार वर्ष के दौरान गैर-संबद्ध आयातों के द्वारा पूरा किया जा रहा है, घरेलू उद्योग के पास वर्तमान में केवल *** प्रतिशत बाजार हिस्सा है और शेष के लिए पूर्ति आयातों के द्वारा की जा रही है।

154. पाटनरोधी शुल्क लगाना विचाराधीन उत्पाद के आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और केवल यह सुनिश्चित करेगा कि वे उचित कीमत पर भारतीय प्रक्षेत्र में हों। पाटनरोधी शुल्क का

उद्देश्य केवल पाटित आयातों को रोकना है और घरेलू उद्योग को निवारण प्रदान करना है जिसका विकास वास्तविक रूप से रोक दिया गया है। बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसे आयातों के द्वारा पूर्ति किया जाएगा।

155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक उपायों का उद्देश्य संबद्ध वस्तुओं की अनुचित आयातों के विरुद्ध उपयुक्त शुल्कों को लगाकर घरेलू उत्पादकों को समान अवसर सुनिश्चित कर घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को बहाल करना है। साथ ही प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत हैं कि इस प्रकार के शुल्कों का प्रभाव आमतौर पर विचाराधीन उत्पाद के केवल घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, शुल्क लगाने के फलस्वरूप देश के भीतर प्रतिस्पर्धा के मुद्दे भी उत्पन्न होंगे और प्राधिकारी उसको नोट करते हैं।

156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में समान उत्पाद के अंतिम प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर शुल्कों का प्रभाव न्यूनतम होगा। डाउनस्ट्रीम उद्योग जो संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करता है निम्नलिखित हैं:

    क. पीटीबीसीएचए जिसका उपयोग परफ्यूम उद्योग द्वारा इत्र का पालन करने के लिए किया जाता है।

    ख. रेसिन जिसका उपयोग कोटिंग/इंक/एढेसिव उद्योग में किया जाता है।

157. यह नोट किया जाता है कि इस प्रकार की संबद्ध वस्तुओं का कोई प्रत्यक्ष उपयोग नहीं है और उन्हें उनके उपयोग के लिए रूपांतरित किया जाता है। परफ्यूम उद्योग में पीटीबीपी का अंतिम उत्पाद साबुन, डिटर्जेंट और शैंपू में होता है।

158. पीटीबीपी का उपयोग पीटीबीसीएचए (4-टरसेरि बुटाइल साइक्लोहेक्साइल एसिटेट) के उत्पादन में किया जाता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पीटीबीपी की लगभग खपत 78 प्रतिशत के करीब है। पीटीबीसीएचए का एकमात्र उपयोग परफ्यूम उद्योग में किया जाता है। याचिकाकर्ता यह भी अनुरोध करते हैं कि पीटीबीसीएचए का व्यापक तौर पर निर्यात किया जाता है और इस प्रकार पीटीबीसीएचए के लिए खरीदा गया पीटीबीपी की आमतौर पर खरीद अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार शुल्क लगाने का ऐसी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका खंडन अन्य पक्षकारों द्वारा नहीं किया गया है।

159. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटीबीसीएचए के उत्पादक लागत में इन परिवर्तनों को उनके ग्राहक अर्थात अगले उत्पाद अर्थात सुगंध/इत्र के उत्पादकों पर डाला जाता है, जिसका उपयोग साबुन, शैंपू और डिटर्जेंट के निर्माताओं, जो एफएमसीजी क्षेत्र का हिस्सा है, द्वारा किया जाता है। हालांकि, इस उत्पाद का उपयोग सभी प्रकारों के साबुनों, शैंपू और डिटर्जेंट के निर्माण में नहीं किया जाता है। इस उत्पाद का उपयोग साबुनों, शैंपूओं और डिटर्जेंट निर्माण के केवल प्रीमियम अथवा उच्च खंड में किया जाता है। इसके अलावा, भारत में एफएमसीजी क्षेत्र मजबूत विकास दर्ज करता रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई गणना(अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अंतिम उत्पाद पर प्रस्तावित शुल्कों के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है) यह दर्शाता है कि पीटीबीसीएचए के कारण लागत साबुन, शैंपू और डिटर्जेंट के उत्पादन की लागत का मुश्किल से *** प्रतिशत होता है। इस प्रकार, यद्यपि पीटीबीपी की कीमत और उसके फलस्वरूप पीटीबीसीएचए में पाटनरोधी शुल्क की मात्रा के द्वारा वृद्धि (अर्थात *** प्रतिशत), वह लगभग *** प्रतिशत की मात्रा तक साबुन, शैंपू और डिटर्जेंट के उत्पादन की लागत में वृद्धि दर्शाएगा। इस प्रकार, प्रस्तावित शुल्कों को लगाने का अंतिम उत्पाद के उत्पादन की लागत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस कारण से अंतिम उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

160. रेसिन उद्योग के मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया और प्राधिकारी नोट करते हैं कि रेसिन में पीटीबीपी की लगभग खपत *** प्रतिशत के करीब है। रेसिन की खपत कोटिंग, इंक और अधेसिव के उत्पादन में है। कोटिंग, इंक और अधेसिव में पीटीबीपी रेजिन खपत बहुत कम है। इस प्रकार, इन अंतिम उत्पादों पर रेसिन की लागत में वृद्धि का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

161. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि परफ्यूमरी खंड के एक बड़े तबके ने डाउनस्ट्रीम उत्पाद का निर्यात किया है और ये उत्पादक अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत संबद्ध वस्तु का आयात कर रहे हैं। निर्यात प्रयोजनों के लिए आयात पर किसी भी तरह पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है।

162. आवेदक संबद्ध वस्तु का एक मात्र और नया उत्पादक हैं। उपभोक्ता केवल आवेदक द्वारा उत्पादन क्षमताओं की स्थापना से पहले आयात पर निर्भर थे। आपूर्ति का एक घरेलू स्रोत होने से देश आत्मनिर्भर बनेगा और उपभोक्ताओं को एक अच्छा और भरोसेमंद आपूर्ति का स्रोत मिलेगा।

झ. निष्कर्ष और सिफारिश

163. किए गए अनुरोधों, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त साक्ष्यांकित सूचना और रिकार्ड में यथा उपलब्ध, प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों की पूर्वोक्त पैराग्राफों में जांच की गई है और पाटन तथा घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी के रूप में घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के निर्धारण के लिए आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष निम्नानुसार है:

i. विचाराधीन उत्पादन "पैरा-टर्सियरी ब्यूटाइल फिनोल" या ''पीटीबीपी'' है। पीटीबीपी को 4 टर्ट ब्यूटाइल फेनॉल/पी टर्ट ब्यूटाइल फेनॉल/पीटीबीपी रसायन/पैरा टर्ट ब्यूटाइल फिनोल के रूप में भी जाना जाता है।

ii. आवेदक ने जुलाई, 2020 में संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। संबद्ध वस्तु भारत में जहां तक उसके उत्पादन का संबंध है। देश के लिए एक नया उत्पाद है।

iii. संबद्ध देशों से निर्यातित संबंध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु एडी नियमावली 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार एक दूसरे के समान वस्तु है।

iv. याचिकाकर्ता इस उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है और भारतीय उत्पादन में इसका 100 प्रतिशत हिस्सा है। याचिकाकर्ता एडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है और याचिका एडी नियमावली 1995 के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करती है।

v. वर्तमान मामला घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी का मामला है। घरेलू उद्योग पीयूसी का एक मात्र उत्पादक है और उसने जुलाई, 2020 में उत्पादन शुरू किया था। क्षमता उपयोग 25-35 प्रतिशत की रेंज में रहा है। इसके अलावा, आयातक बाजार हिस्सा भी इसी के आसपास रहा है। जबकि संबद्ध आयातों ने घरेलू बाजार के 70-80 प्रतिशत पर कब्जा कर लिया है। पहले से स्थापित संयंत्र और नये संयंत्र के बीच कोई बड़ा अतिव्यापन नहीं है। घरेलू उद्योग अब भी आरंभिक अवस्था में है और अपने को स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

vi संबद्ध देशों से और प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

vii. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2021-22 तक वृद्धि हुई है और मांग में गति के साथ पीओआई में गिरावट आई है। आयातों में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पीओआई में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को वह बाजार हिस्सा मिला है जो गैर संबद्ध देश के आयातों से रिक्त हुआ था।

viii. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है। इसके अलावा, बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि में बिक्री लागत के मानक स्तर से भी कम रही है। आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम रही है। आयातों ने इस प्रकार बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में न्यूनीकरण किया है।

ix. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर ऐसे पाटन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष हैं:

क. उत्पादन, स्थापित क्षमता, बिक्री मात्रा के अनुसार घरेलू उद्योग के निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में सुधार हुआ है। तथापि, वह अनुमानित स्तरों से काफी कम है।

ख. याचिकाकर्ता को अपने लाभ/हानि, पीबीआईटी और आरओआई में भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है जबकि क्षति अवधि में घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, परंतु इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के घाटों में भी वृद्धि हुई है।

ग. आवेदक की औसत मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है।

घ. वेतन और मजदूरी, प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में सुधार हुआ है।

ड. घरेलू उद्योग के अनुमानित उत्पादन की तुलना में वास्तविक निष्पादन यह दर्शाता है कि उसकी वास्तविक उत्पादन और लाभों में पीओआई के दौरान कमी आई है।

x. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप क्षति हुई है। क्षति मार्जिन काफी अधिक है।

xi. प्राधिकारी ने किसी कारक पर अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता हो। किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हुई प्रतीत नहीं होती है। प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी के रूप में क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।

xii. पाटनरोधी शुल्क जनहित में है। घरेलू उद्योग की स्थापना देश को आत्मनिर्भर बनाएगी और उपभोक्ताओं को वैकल्पिक घरेलू आपूर्ति उपलब्ध कराएगी। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा ज्ञात की है। यह देखा गया है कि उपभोग की गई पीयूसी की प्रकृति पर विचार करते हुए हुए उपायों का प्रभाव एक प्रतिशत से कम होगा। प्राधिकारी ने अंतिम डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर प्रभाव की अतिरिक्त जांच की है और यह देखा गया है कि यदि प्रयोक्ता उद्योग पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को आगे भी बढ़ाता है तो भी अंतिम उपभोक्ता पर प्रभाव मामूली होगा। पाटनरोधी शुल्क लगने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

164. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित की गई तथा घरेलू उद्योग संबद्ध देश के दूतावासों, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं के बारे में सकारातमक सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना पर वास्तविक मंदी सिद्ध करने के बाद प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लागू करना आवश्यक है।

165. अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों

के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क को केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29071940	पैरा-टर्सियरी ब्यूटाइल फिनोल (पीटीबीपी)	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटे	208	एमटी	यूएसडी
2	-वही-	- वही -	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	(1) के अलावा कोई उत्पादक	357	-वही-	- वही -
3	-वही-	- वही -	कोरिया गणराज्य, यूएसए और सिंगापुर के अलावा कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	357	-वही-	- वही -
4	-वही-	- वही -	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	एसआई ग्रुप सहित	790	-वही-	- वही -
5.	-वही-	- वही -	यूएसए	यूएसए सहित कोई देश	(4) के अलावा कोई उत्पादक	881	-वही-	- वही -
6.	-वही-	- वही -	कोरिया गणराज्य, यूएसए और सिंगापुर के अलावा कोई देश	यूएसए	कोई	881	-वही-	- वही -

			देश					
7.	-वही-	- वही -	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई देश	कोई	349	-वही-	- वही -
8.	-वही-	- वही -	कोरिया गणराज्य, यूएसए और सिंगापुर के अलावा कोई देश	सिंगापुर	कोई	349	-वही-	- वही -

ञ. आगे की प्रक्रिया

166. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी